

(सनातन धर्म के स्थाई सशक्तिकरण के लिए)

सनातन सेवा निधि अधिनियम, 20XX (मूल अंग्रेज़ी अधिनियम का अनुवाद)

विचारित एवं प्रारूपित
द्वारा - भगवद्-धर्म पीठाधीश श्रीयुत ब्रह्मबोधि
वृन्दावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

संगठनात्मक व्हाट्सऐप: +91 88650 52915
वेबसाइट: www.inlightofgita.org
ईमेल: brahmbodhi@gmail.com

निपुण प्रशासनिक एवं संवैधानिक विशेषज्ञों द्वारा समीक्षित।

प्रधानमंत्री, भारत और नीति-अयोग को प्रेषित- 17 अक्टूबर, 2025

अनुक्रमणिका (INDEX)

सनातन सेवा निधि अधिनियम, 20XX	1-46
अनुसूची A: वित्तीय लेखा-जोखा, अनुपालन एवं दानदाता लाभ [धारा 14 (2) का संदर्भ]	47-51
अनुसूची B: पुजारी प्रशिक्षण एवं प्रमाणन पर कार्यबल [धारा 6 (7) का संदर्भ]	52-54
अनुसूची C: अध्यात्माचार्य प्रशिक्षण एवं प्रमाणन पर कार्यबल [धारा 6 (7) का संदर्भ]	55-58
अनुसूची D: एकरूप पाठ्यक्रम सहित सनातन विद्यालयों की श्रृंखला की स्थापना संबंधी कार्यबल [धारा 6 (7) का संदर्भ]	59-62
अनुसूची E: विरासत ग्रंथों के अनुवाद तथा प्रकाशन संबंधी कार्यबल [धारा 6 (7) का संदर्भ]	63-66
अनुसूची F: विरासत ग्रंथों के वितरण एवं प्रसार संबंधी कार्यबल [धारा 6 (7) का संदर्भ]	67-70
अनुसूची G: सनातन उद्देश्यों हेतु संपत्ति अधिग्रहण एवं पुनर्विकास संबंधी कार्यबल [धारा 6 (7) का संदर्भ]	71-74
अनुसूची H: आध्यात्मिक शिक्षकों (अध्यात्माचार्यों) के लिए पाठ्यक्रम	75-97

सनातन सेवा निधि अधिनियम, 20XX का

कार्यकारी सारांश (Executive Summary)

1. पृष्ठभूमि (Background)

भारत की प्राचीनतम सनातन सभ्यता — जो भगवद्गीता, वेद, उपनिषद्, रामायण और अन्य विरासत ग्रंथों से पोषित है — ने सहस्राब्दियों से समाज को नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दिशा प्रदान की है।

वर्तमान में अन्य धार्मिक समुदायों के पास अपने-अपने वैधानिक ढाँचे (जैसे वक्फ अधिनियम, 1995; सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 आदि) हैं, जबकि सनातन धर्म के लिए ऐसा कोई एकीकृत वैधानिक प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

इस शून्य की पूर्ति हेतु “सनातन सेवा निधि अधिनियम” प्रस्तावित है।

2. उद्देश्य (Objectives)

- सनातन सेवा निधि की स्थापना — धर्म, शिक्षा और संस्कृति के संवर्धन हेतु स्वैच्छिक दान की पारदर्शी व्यवस्था।
- गीता, रामायण परंपरा के ग्रंथों और अन्य विरासत ग्रंथों को 20 करोड़ से ऊपर हर सनातनी घर में निःशुल्क पहुंचाना।
- दस लाख के राष्ट्रीय लक्ष्य के अंतर्गत धर्माचार्यों एवं आध्यात्माचार्यों का प्रशिक्षण — ग्राम से वैश्विक स्तर तक आध्यात्मिक नेतृत्व सशक्त करना।
- सनातनी विद्यालयों का जाल — आधुनिक एवं धर्माधारित समन्वित शिक्षा।
- पुनर्वास एवं सहायता — परित्यक्त महिलाएँ, वृद्धजन, हिंदू शरणार्थी व आपदा-ग्रस्त समुदाय।
- अंतरराष्ट्रीय शाखाएँ — प्रवासी भारतीय क्षेत्रों में सनातन मूल्यों का प्रसार।

3. प्रमुख विशेषताएँ (Key Features)

स्वायत्त निधि : सरकार निधि के उपयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

शासन संरचना :

केंद्रीय संचालन परिषद — 11 प्रतिष्ठित संत, विद्वान व विशेषज्ञ ।

राज्य परिषदें — स्थानीय स्तर 11 प्रतिष्ठित संत, विद्वान व विशेषज्ञ ।

सचिवालय — प्रशासनिक व तकनीकी सहायता के लिए ।

अनेक कार्यबल (टास्क फोर्स) - समय बद्ध तरीके से अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ।

वित्तीय प्रबंधन :

* सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में खाते ।

* वार्षिक ऑडिट – नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा ।

* दानदाताओं को 80G व CSR लाभ ।

व्यय सीमाएँ :

* प्रशासनिक व्यय अधिकतम 10%;

* प्रारंभिक सात वर्षों में 70% राशि — गीता-रामकथा ग्रंथ वितरण एवं अध्यात्माचार्य और ऐसे सुप्रशिक्षित पुरोहित तैयार करने हेतु जो रोजगार परामर्शी बनने के लिए भी प्रशिक्षित हों ।

4. सामाजिक-आध्यात्मिक कार्यक्रम (Programmatic Areas)

* पुरोहित एवं आध्यात्माचार्य प्रशिक्षण गुरुकुल एवं संस्थान

* आवासीय और गैर-आवासीय सनातन विद्यालय

* डिजिटल धर्म-शिक्षा प्लेटफॉर्म

* मंदिर पुनर्जीवन एवं रोजगार-परामर्श केंद्र

* आपदा राहत व पुनर्वास परियोजनाएँ

* अंतर-धार्मिक सौहार्द एवं मानवतावादी सहायता

5. विधिक व संवैधानिक स्थिति (Legal Safeguards)

* सभी योगदान पूर्णतः स्वैच्छिक ।

- * धार्मिक शिक्षण प्रशिक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 28 (3) का पालन ।
- * अधिनियम अन्य धार्मिक समुदायों के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा ।

6. शासन-उत्तरदायित्व (Governance & Accountability)

- * वार्षिक प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत ।
- * सभी अभिलेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ।
- * परिषद सदस्यों के लिए वेतन नहीं; केवल मानदेय या यात्रा-भत्ता ।
- * पूर्ण पारदर्शिता और ऑडिट-प्रणाली ।

7. सार-सक्षेप (Essence)

“सनातन सेवा निधि अधिनियम, 20XX”

भारत की धार्मिक-सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा, गीता-उपनिषद् आधारित नैतिक-आध्यात्मिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय-वैश्विक स्तर पर सनातन धर्म के पुनर्संगठन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है । (इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात अन्य अधिनियम भी एक एक कर प्रस्तावित किए जायेंगे)

सनातन सेवा निधि अधिनियम, 20XX

(The Sanatan Seva Nidhi Act, 20XX)

(यह मूल अंग्रेजी कानून का विधिक हिंदी रूपांतरण है)

प्रस्तावना (Preamble)

चूँकि भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक, सनातन सभ्यता अथवा सनातन धर्म की जन्मभूमि है, जिसकी विरासत, शास्त्र और परंपराएँ हजारों वर्षों से भारतीय समाज का मार्गदर्शन करती रही हैं;

और चूँकि अन्य धर्मावलंबी समुदायों को उनकी धार्मिक संपत्तियों एवं संस्थाओं के प्रबन्ध हेतु विशिष्ट विधिक ढाँचे (statutory frameworks) का लाभ प्राप्त है, जैसे — वक्फ़ अधिनियम, 1995 (मुसलमानों हेतु); सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (पंजाब); दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971; तथा बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 (बिहार);

और चूँकि यह आवश्यक एवं समीचीन है कि सनातन धर्म की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, संगठित संरक्षण एवं प्रसार के हित में एक ऐसा विधिक तंत्र स्थापित किया जाए, जो इस धर्म के धार्मिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक योगदानों के नियमन और उपयोग को सुनिश्चित करे;

अतः, यह अधिनियम निम्न प्रकार से प्रवर्तित किया जाता है :

अध्याय-I : प्रारंभिक उपबंध (Preliminary Provisions)

धारा 1 संक्षिप्त नाम, क्षेत्र एवं प्रवर्तन (Short Title, Extent and Commencement)

- (क) इस अधिनियम का नाम “सनातन सेवा निधि अधिनियम, 20XX” होगा।
(ख) यह सम्पूर्ण भारत पर लागू होगा।
(ग) यह अधिनियम उस तिथि से प्रभावी होगा, जिसे भारत सरकार राजपत्र में अधिसूचित करेगी।

धारा 2 – परिभाषाएँ (Definitions)

जब तक प्रसंग अन्यथा न हो, इस अधिनियम में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों के अर्थ इस प्रकार होंगे—

(1) “सनातन सभ्यता” से अभिप्राय उस सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सभ्यतागत परंपरा से है जो सामान्यतः सनातन धर्म या हिंदू धर्म के नाम से प्रसिद्ध है; और इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु इसमें वे व्यक्ति, संस्थाएँ और समुदाय सम्मिलित होंगे जो संकीर्ण अर्थ में हिंदू आस्था और आचरण का पालन करते हैं; परन्तु इसमें सिख, जैन और बौद्ध धर्मावलंबी सम्मिलित नहीं माने जाएँगे, क्योंकि संविधान में उन्हें पृथक् धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता प्राप्त है।

(2) “निधि” से अभिप्राय उस सनातन सेवा निधि से है जिसकी स्थापना धारा 3 के अंतर्गत की जाएगी।

(3) “केंद्रीय संचालन परिषद्” या “केंद्रीय सनातन सेवा निधि संचालन परिषद्” से अभिप्राय उस सर्वोच्च प्रशासनिक एवं नीतिनिर्माण संस्था से है जिसकी स्थापना इस अधिनियम के अंतर्गत की जाएगी, जिसका मुख्यालय भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा, और जिसमें मुख्यतः देश के विभिन्न प्रदेशों के प्रमुख संतों, आध्यात्मिक नेताओं एवं सनातन सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों वा धार्मिक विद्वानों का समावेश होगा। इन सदस्यों की नियुक्ति या नामांकन इस अधिनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(4) “राज्य संचालन परिषद्” या “प्रांतीय सनातन सेवा निधि संचालन परिषद्” से अभिप्राय प्रत्येक राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के लिए गठित उस प्रशासनिक एवं नीतिनिर्माण संस्था से है जो प्रधानतः स्थानीय संतों, आध्यात्मिक नेताओं एवं धार्मिक विद्वानों से मिलकर बनेगी, और जो अपने अधिकारक्षेत्र में इस अधिनियम के उद्देश्यों

के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी, केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित नीति एवं मार्गदर्शन के अधीन रहकर।

(5) “परिषद्” से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत केंद्रीय स्तर तथा राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर गठित सभी सनातन सेवा निधि संचालन परिषदों से है।

(6) “कार्यबल” (Task Force) से अभिप्राय ऐसे किसी स्थायी या अस्थायी निकाय से है जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत या किसी केंद्रीय अथवा राज्य परिषद् द्वारा गठित किया जाए, जिसका उद्देश्य शैक्षिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक अथवा अन्य सनातनी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी संस्था, परियोजना या उपक्रम का संचालन, प्रबंधन अथवा पर्यवेक्षण करना हो।

(7) “सचिवालय” से अभिप्राय उस स्थायी प्रशासनिक कार्यालय से है जो परिषद् के कार्यों को सहयोग प्रदान करेगा, जिसमें अभिलेखों का संधारण, बैठकों की सुविधा, संवाद, समन्वय, और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट अन्य प्रक्रियात्मक कार्य सम्मिलित होंगे। यह केंद्रीय और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, दोनों स्तरों पर अलग-अलग गठित होंगे।

(8) “विरासत-ग्रंथ” (Heritage Texts) से अभिप्राय भगवद् गीता, रामायण-परंपराओं तथा ऐसे अन्य सनातन विरासत-ग्रंथों से है जिनका सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य मान्य हो और जिन्हें समय-समय पर किसी परिषद् द्वारा अधिसूचना के माध्यम से, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप, घोषित किया जाए।

(9) “सामुदायिक संस्थाएँ” (Community Institutions) से अभिप्राय मंदिरों, मठों, गुरुकुलों, सांस्कृतिक केन्द्रों या अन्य ऐसी सनातन विरासत-संस्थाओं से है जो धार्मिक, सांस्कृतिक अथवा शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न हों।

(10) “लाभार्थी” (Beneficiaries) से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जो सनातन सभ्यता से संबंधित हों — जिनमें विद्यार्थी, युवक-युवतियाँ, पुरोहित, शिक्षक, महिलाएँ, वरिष्ठ नागरिक, शरणार्थी तथा विस्थापित व्यक्ति सम्मिलित हैं; और जहाँ उपयुक्त हो, ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित किए जा सकते हैं जो सनातन आस्था के अनुयायी न हों, परन्तु—

(क) इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आपदा-राहत, मानवीय सहायता या कौशल-विकास का लाभ प्राप्त करते हों;

(ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित सनातनी विद्यालयों या शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक भेदभाव के बिना, प्रवेश प्राप्त करते हों; अथवा

(ग) स्वेच्छा से ऐसे कार्यक्रमों या संस्थानों में भाग लेते हों जिनका उद्देश्य सनातन मूल्यों, विरासत-ग्रंथों या परंपराओं का ज्ञान प्रसारित करना हो, और जो भारत के संविधान के अनुरूप हों।

परंतु यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी परिस्थितियों में प्राथमिकता सनातन सभ्यता से संबंधित व्यक्तियों को ही दी जाएगी।

(11) “पुरोहित” (Priests) से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो सनातनी संस्कारों एवं अनुष्ठानों के सम्पादन में संलग्न हों, चाहे वे मंदिर-परिसर में कार्यरत हों या उसके बाहर, और इसमें आर्य समाज अथवा अन्य समान सनातन परंपराओं के अनुयायी भी सम्मिलित होंगे, चाहे वे किसी मंदिर में औपचारिक रूप से नियुक्त हों या न हों।

(12) “अध्यात्माचार्य” (Adhyātmāchārya) से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो केवल कर्मकाण्ड या संस्कार-विधि में ही नहीं, बल्कि सनातन धर्म के विविध विरासत-ग्रंथों — जैसे भगवद् गीता, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद्, पुराण आदि — तथा विविध दार्शनिक परंपराओं के अध्ययन में प्रशिक्षित हों, और साथ-ही-साथ तुलनात्मक धर्म-अध्ययन में दक्ष हों।

अध्यात्माचार्य की भूमिका केवल धार्मिक अध्यापन तक सीमित नहीं होगी, अपितु वह सामाजिक मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करेगा। इस हेतु उसे निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा—

(क) संवाद-कौशल, नेतृत्व-क्षमता और समुदाय-मार्गदर्शन की योग्यता;

(ख) युवाओं को रोजगार, स्व-रोजगार और व्यावसायिक कौशल में मार्गदर्शन;

(ग) प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परामर्श;

(घ) रोजगार-प्रपत्तों अथवा आवेदन-पत्रों की पूर्ति में सहायता;

(ङ) पारिवारिक सौहार्द, वैवाहिक स्थिरता तथा विवाह-विच्छेद की दर में कमी हेतु पारिवारिक परामर्श;

(च) समाज में नैतिकता एवं सदाचार की प्रवृत्ति का संवर्धन।

अतः अध्यात्माचार्य का स्वरूप केवल "पुरोहित" तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह समाज-मार्गदर्शक के रूप में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष — इन चार पुरुषार्थों के समन्वित साधक के रूप में समुदाय का नेतृत्व करेगा।

इस हेतु अध्यात्माचार्य प्रशिक्षण का एक आदर्श पाठ्यक्रम इस अधिनियम के अनुसूची H में मार्गदर्शनार्थ संलग्न किया गया है।

(13) “नियम” (Rules) से अभिप्राय उन नियमों से है जो इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय शासी परिषद द्वारा या किसी प्रांतीय शासी परिषद द्वारा केंद्रीय शासी परिषद द्वारा अनुमोदन के पश्चात बनाए जाएँगे।

अध्याय II — स्थापना और संरचना

(Chapter II – Establishment and Structure)

धारा 3 — सनातन सेवा निधि (Sanatan Seva Nidhi) की स्थापना

(1) निधि की स्थापना

इस अधिनियम के अंतर्गत “सनातन सेवा निधि” (Sanatan Seva Nidhi) नामक एक कोष की स्थापना की जाएगी, जो भारत और विदेश—दोनों स्थानों पर स्थित व्यक्तियों, संस्थानों और संगठनों से प्राप्त स्वैच्छिक दान और योगदानों से निर्मित होगा।

(2) सरकारी हस्तक्षेप का निषेध

केंद्रीय या राज्य सरकार का किसी भी प्रकार का अधिकार न होगा कि वह इस निधि की राशि का उपयोग, निर्देशन या नियंत्रण करे।

(3) निधि के खाते – संरचना और अधिकार-क्षेत्र

निधि के अंतर्गत निम्नलिखित खाते स्थापित किए जाएंगे—

(1) एक मुख्य केंद्रीय खाता, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Region) में स्थित होगा; तथा

(2) प्रत्येक राज्य एवं केंद्र-शासित प्रदेश में एक मुख्य राज्यीय खाता।

उपरोक्त के अतिरिक्त, केंद्रीय शासी परिषद अथवा राज्य शासी परिषदें, आवश्यकता अनुसार या किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए, पृथक विशेष उद्देश्य खाते (Special Purpose Accounts) स्थापित कर सकेंगी।

ऐसे सभी खातों के बीच, जिस प्रयोजन के लिए दान प्राप्त हुआ है, उस प्रयोजन के अनुरूप धनराशि का स्थानांतरण संबंधित राज्यीय या केंद्रीय मुख्य खाते से किया जा सकेगा, जैसा कि संदर्भानुसार उपयुक्त हो।

ये सभी खाते अनुसूची A (Schedule A) में वर्णित वित्तीय संरचना और समान प्रोटोकॉल के अनुसार संचालित किए जाएंगे।

(4) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में खाता रखने की अनिवार्यता

सनातन सेवा निधि के सभी खाते—चाहे केंद्रीय स्तर पर हो या राज्य या केंद्र-शासित प्रदेश स्तर पर—

केवल और केवल किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में रखे जाएंगे, और जहाँ संभव हो वहाँ भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसा कि **अनुसूची A के खंड (1)** में निर्दिष्ट है।

परंतु यह उपबंध इस शर्त के अधीन होगा कि –

(क) यदि भविष्य में भारत में कोई सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक विद्यमान न रहे; या

(ख) यदि किसी विदेशी देश में सनातन सेवा निधि संचालन परिषद (Sanchalan Parishad) की शाखा स्थापित की जानी हो और वहाँ भारत का कोई सार्वजनिक बैंक न हो, तो केंद्रीय शासन परिषद (Central Governing Council) को अधिकार होगा कि वह उस देश के न्यायसंगत, प्रतिष्ठित और वित्तीय रूप से सुरक्षित

निजी बैंक या बैंकों में खाता खोले, जिसमें अंतरराष्ट्रीय अनुपालन (compliance) और साख (reputation) का पूरा विचार किया जाएगा।

टिप्पणी (स्पष्टीकरण)

प्रधान खातों की संख्या और क्रम सार्वजनिक रूप से पहचाने जा सकने योग्य और समान ढंग से निर्धारित किया जाएगा जैसा कि अनुसूची A में वर्णित है।

खातों की सटीक संख्या-प्रणाली संबंधित बैंक द्वारा उसकी आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित की जाएगी; परंतु उपलब्ध विकल्पों में से केंद्रीय शासन परिषद् ऐसे प्रारूप को अनुमोदित करेगी जो सबसे अधिक स्मरण-सुलभ, समान और पारदर्शी हो।

(5) वित्तीय संचालन का शासन

सभी संचालनात्मक, प्रक्रियात्मक और अनुपालन (Compliance) संबंधी मामले—जैसे खातों के नामकरण के नियम, खाता-प्रबंधकों का शासन, एफ.सी.आर.ए. (FCRA) का पालन (जहाँ लागू हो), दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताएँ, तथा केंद्रीय और राज्यीय परिषदों के बीच समन्वय— इन सभी का नियमन अनुसूची A (वित्तीय खाते, अनुपालन और दाता-लाभ) द्वारा किया जाएगा।

(6) वित्तीय निगरानी और पारदर्शिता

निधि के वित्तीय लेन-देन पर निम्नलिखित अनिवार्य उपबंध लागू होंगे –

(क) लेखा परीक्षण: भारत के महालेखा निरीक्षक (Comptroller and Auditor General – CAG) द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षण।

(ख) प्रकटीकरण: निधि में प्राप्त सभी योगदानों और किए गए व्ययों का सार्वजनिक प्रकटीकरण, दाता की गोपनीयता या विशेष निर्देशों का सम्मान करते हुए, ऐसे रूप में किया जाएगा जो सार्वजनिक रूप से सुलभ हो, जैसा कि अनुसूची A में वर्णित है।

धारा 7 — दाता-लाभ (Donor Benefits)

(1) इस निधि में किए गए सभी योगदान — चाहे वे व्यक्तियों, कंपनियों (जिसमें कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात् CSR के अंतर्गत किए गए योगदान भी

सम्मिलित हों), परोपकारी संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय दान एजेंसियों या निधि-संग्रह करने वाले संगठनों द्वारा किए गए हों — दाता को वही सभी लाभ, छूटें, मान्यताएँ और विशेषाधिकार प्रदान करेंगे जो वर्तमान विधि के अंतर्गत सार्वजनिक परोपकारी न्यासों, पंजीकृत धार्मिक न्यासों या तुलनीय शैक्षणिक अथवा सांविधिक निधियों में दान करने वालों को सर्वोत्तम रूप से प्राप्त हैं।

(2) इस निधि को ऐसा माना जाएगा कि उसने वर्तमान कानूनों के अंतर्गत सभी आवश्यक पंजीकरण, प्रमाणीकरण और अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं — जिसमें, किन्तु सीमित नहीं, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G, 12AB या अन्य समकक्ष प्रावधानों के अंतर्गत कर-छूट; कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन CSR-योग्यता; तथा अन्य लागू अंतरराष्ट्रीय विधिक व्यवस्थाएँ सम्मिलित हैं — ताकि सभी योग्य दाता उन विधिक ढाँचों के अंतर्गत अधिकतम अनुमत लाभ विधिसम्मत रूप से प्राप्त कर सकें।

धारा 4 — शासन परिषद् (Governing Council)

(1) निधि का प्रशासन:

निधि का संचालन शासी परिषद् (Governing Council) द्वारा किया जाएगा, जिसमें कुल *ग्यारह (11) प्रतिष्ठित सदस्य* होंगे — केंद्र, राज्यों तथा संघ-प्रदेशों के स्तर पर।

इन सदस्यों का चयन *सनातन सभ्यता* के विभिन्न क्षेत्रों और संप्रदायों से किया जाएगा।

इनमें —

- * एक प्रख्यात विधिवेत्ता (eminent jurist),
 - * एक वरिष्ठ प्रबंधन विशेषज्ञ (senior management expert) जो किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान से योग्यताधारी हो,
 - * एक प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट,
 - * तथा शेष सदस्य संत, आध्यात्मिक नेता और प्रतिष्ठित धार्मिक या शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान होंगे।
- ग्यारह में से कम से कम नौ सदस्य भारत में निवास करने वाले भारतीय नागरिक होंगे,

और दो से अधिक सदस्य प्रवासी भारतीय (Non-Resident Indians) नहीं होंगे।

(2) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व :

संतुलित क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिषद में निम्नलिखित क्षेत्रों से प्रत्येक से कम-से-कम एक सदस्य अवश्य होगा —

- (a) उत्तर भारत,
- (b) दक्षिण भारत,
- (c) पूर्वी भारत,
- (d) पश्चिमी भारत,
- (e) मध्य भारत,
- (f) उत्तर-पूर्व भारत।

(3) विविधता एवं पालता :

शेष सदस्यों का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि परिषद में क्षेत्रीय, संप्रदायगत और कार्यगत विविधता बनी रहे। केवल वही व्यक्ति सदस्य बनने के पात्र होंगे जिनकी सनातन सभ्यता के उद्देश्यों के प्रति सिद्ध निष्ठा और समर्पण हो।

(4) संप्रदायगत संतुलन :

परिषद में वैष्णव, शैव, शाक्त, आर्य समाज तथा अन्य मान्य परंपराओं के प्रतिनिधियों को समुचित संतुलन के साथ सम्मिलित किया जाएगा।

(5) कार्यकाल :

प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

परिषद की निरंतरता बनाए रखने हेतु सदस्यों की नियुक्ति और पदावसान क्रमिक (staggered) रूप में किया जाएगा, ताकि सभी सदस्य एक साथ न तो नियुक्त हों और न ही पदमुक्त।

(6) अधिनियम के उद्देश्यों के प्रति घोषणा :

केंद्र या राज्य स्तर की किसी भी शासन परिषद के सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को एक औपचारिक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें वह यह प्रतिज्ञा करेगा कि —

- * वह इस अधिनियम के उद्देश्यों और सिद्धांतों का समर्थन और पालन करता है;
- * उसने इस अधिनियम तथा उससे संलग्न सभी अनुसूचियों (Schedules) का अध्ययन किया है।

(7) सचिवालय की नियुक्तियाँ:

परिषद् एक प्रधान सचिव (Principal Secretary), अन्य सचिवों या उप-सचिवों तथा एक सचिवालय (Secretariat) की नियुक्ति करेगी, जो परिषद् को परामर्श देंगे, संतों तथा अन्य सदस्यों से समन्वय स्थापित करेंगे, अभिलेखों का संधारण करेंगे, बैठकों का आयोजन करेंगे, और आवश्यक रिपोर्टें तैयार करेंगे।

(8) बैठकें (Meetings) :

परिषद् प्रत्येक सप्ताह एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य अनुमोदित सुरक्षित डिजिटल माध्यम से आयोजित करेगी। इसके अतिरिक्त, कम से कम प्रत्येक पैंतालीस दिनों में एक भौतिक बैठक आयोजित की जाएगी, या उससे पहले भी यदि प्रधान सचिव आवश्यक समझे, या यदि परिषद् के कुल सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य लिखित रूप में अनुरोध करें, तो ऐसी बैठक अनिवार्य रूप से बुलाई जाएगी।

(9) अध्यक्ष सदस्य (परिवर्ती प्रणाली)

परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता एक अध्यक्ष सदस्य (Presiding Member) द्वारा की जाएगी, जो परिषद् में सम्मिलित संतों और धार्मिक विद्वानों में से क्रमानुसार (प्रथम नाम के वर्णक्रम के अनुसार) चयनित होंगे।

अध्यक्ष सदस्य केवल चर्चा के सुचारु संचालन एवं मर्यादा के संरक्षण हेतु संयोजक अथवा संचालक के रूप में कार्य करेगा, और उसे अन्य सदस्यों पर किसी प्रकार की श्रेष्ठता या निर्णायक (casting) मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(10) प्रधान सचिव की भूमिका (Role of the Principal Secretary):

प्रधान सचिव परिषद् के सचिवालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (Chief Administrative Officer) होंगे, जो परिषद् के मुख्य सहायक तथा सभी बैठकों के अभिलेख अधिकारी (Recording Authority) के रूप में कार्य करेंगे।

प्रधान सचिव की जिम्मेदारियाँ होंगी —

- (a) बैठकों के आयोजन में सुविधा प्रदान करना,

- (b) आधिकारिक अभिलेखों का संधारण,
- (c) कार्यसूची (agenda) और कार्यवृत्त (minutes) का संचार,
- (d) तथा इस अधिनियम या नियमों के अनुसार प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन प्रदान करना।

परंतु यह उपबंध रहेगा कि प्रधान सचिव न तो परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और न ही मतदान में भाग लेंगे, सिवाय उस स्थिति के जब मत-समानता (tie) उत्पन्न हो।

(11) निर्णय-प्रक्रिया (Decision-Making) :

परिषद के सभी निर्णय कुल सदस्यों के बहुमत (majority of total membership) से लिए जाएंगे, केवल उपस्थित सदस्यों के बहुमत से नहीं।

कोई भी प्रस्ताव तभी पारित माना जाएगा जब परिषद के कुल सदस्यों में से आधे से अधिक सदस्य उसका समर्थन करें, चाहे सभी सदस्य बैठक में उपस्थित हों या नहीं।

यदि किसी बैठक में मतदान के परिणामस्वरूप आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो अनुपस्थित सदस्यों से ई-मेल या किसी अन्य अनुमोदित माध्यम से लिखित मत प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे लिखित उत्तर वैध माने जाएंगे और अंतिम निर्णय निर्धारित करने के उद्देश्य से गिने जाएंगे।

धारा 5 — सचिवालय (The Secretariat)

(1) सचिवालय की स्थापना (Establishment of the Secretariat)

एक स्थायी निकाय की स्थापना की जाएगी, जिसे परिषद का सचिवालय (Secretariat of the Council) कहा जाएगा। यह सचिवालय परिषद के दैनिक प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक कार्यों को संचालित करने वाला केंद्रीय कार्यालय होगा। इसका दायित्व परिषद के कार्यों में सहायता प्रदान करना तथा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक समन्वय बनाए रखना होगा।

(2) संरचना (Composition)

सचिवालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित होंगे—

(a) प्रधान सचिव (Principal Secretary) —
जो सचिवालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (Chief Administrative Officer) होंगे।

(b) अन्य अधिकारी —
जिनमें सचिव (Secretaries), उप सचिव (Deputy Secretaries), सहायक (Assistants) तथा
अन्य सहायक कर्मचारी सम्मिलित होंगे, जिनकी संख्या और पदवियाँ नियमों द्वारा
निर्धारित की जाएँगी।

(c) विशेषज्ञ या परामर्शदाता (Experts or Consultants) —
जो प्रशासनिक, विधिक, डिजिटल या वित्तीय कार्यों में विशेष अनुबंध
(contractual basis) पर नियुक्त किए जा सकते हैं।

(3) कार्य एवं उत्तरदायित्व (Functions and Responsibilities)

सचिवालय के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे—

(a) परिषद की बैठकों के आयोजन में सुविधा प्रदान करना —
जिसमें सूचनाएँ भेजना, कार्यसूची तैयार करना, और कार्यवृत्त (minutes) का
अभिलेखन सम्मिलित है।

(b) परिषद के सभी आधिकारिक अभिलेखों, रजिस्ट्रों, पत्राचारों एवं दस्तावेजों का
संरक्षण एवं संधारण करना।

(c) अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु विभागों और एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित
करना।

(d) परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक और लॉजिस्टिक
सहायता प्रदान करना।

(e) परिषद के निर्णयों, प्रस्तावों और संकल्पों के क्रियान्वयन की देखरेख करना

तथा संबंधित कार्यदल (Task Forces) या अधीनस्थ निकायों की गतिविधियों की निगरानी करना।

(f) परिषद द्वारा निर्दिष्ट अनुसार आवधिक प्रतिवेदन (periodic reports), नीति अद्यतन (policy updates) और आँकड़े प्रकाशित करना।

(g) परिषद की आधिकारिक वेबसाइटों और डिजिटल मंचों का निर्माण, रख-रखाव और अद्यतन करना, जैसा कि परिषद या उसकी किसी अधिकृत इकाई द्वारा समय-समय पर निर्धारित तकनीकी एवं विषयवस्तु संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो।

(h) इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार अन्य कोई भी कार्य संपादित करना।

(4) संतों और आध्यात्मिक नेताओं के साथ संवाद में सचिवालय की भूमिका (Role of the Secretariat in Engaging with Saints and Spiritual Leaders)

यह आदरपूर्वक स्वीकार किया जाता है कि यद्यपि संत एवं आध्यात्मिक नेता गहन आध्यात्मिक ज्ञान तथा नैतिक अधिकार से संपन्न होते हैं, तथापि वे प्रायः वृहद् कार्य-क्रम-योजना, नीतिनिर्माण अथवा प्रशासनिक क्रियान्वयन की जटिलताओं से परिचित नहीं होते। अतः यह सचिवालय का पवित्र कर्तव्य होगा कि वह उनके साथ सदैव विनम्रता, श्रद्धा और सहयोग की भावना से संवाद बनाए रखे, ताकि उनके मार्गदर्शन को इस अधिनियम के उद्देश्यों के क्रियान्वयन में प्रभावी रूप से एकीकृत किया जा सके।

सचिवालय यह सुनिश्चित करेगा कि संतों एवं आध्यात्मिक नेताओं को परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों एवं उनके क्रियान्वयन की प्रगति के विषय में निरंतर अवगत कराया जाए, विशेष रूप से साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस अथवा अन्य अनुमोदित माध्यमों के माध्यम से।

सचिवालय को निम्नलिखित अन्य कार्य करने होंगे—

(a) परिषद में सम्मिलित संतों और आध्यात्मिक नेताओं को इस अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और उनके दायित्वों की पूर्व जानकारी और मार्गदर्शन देते रहना।

(b) सेवा भाव (spirit of seva) के साथ उन्हें परिषद के कार्यक्रम-निर्माण, समीक्षा और प्रशासनिक निर्णयों में सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए आवश्यक सभी सहायता प्रदान करना।

(c) विनम्र एवं सम्मानपूर्ण ढंग से निरंतर परिचयात्मक मार्गदर्शन (orientation) देना, जिससे वे कार्यान्वयन, निगरानी और वैधानिक उत्तरदायित्वों से क्रमशः परिचित हो सकें।

(d) संतों और आध्यात्मिक नेताओं की आध्यात्मिक गरिमा और सांस्कृतिक मर्यादा का पूर्ण सम्मान करते हुए उनसे संवाद करते समय उच्चतम स्तर की विनम्रता और संवेदनशीलता बनाए रखना।

(5) — परिषदों में प्रधान सचिव की नियुक्ति (Appointment of Principal Secretary to the Governing Councils)

यह देखते हुए कि परिषदों में कार्यरत संतगण तथा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्म-चारी इस अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवक (Public Servants) माने जाएंगे, अतः यह आवश्यक और उचित समझा गया है कि प्रत्येक सचिवालय का प्रशासनिक नेतृत्व ऐसे व्यक्ति को सौंपा जाए जिसे लोक सेवक के पद से जुड़ी कानूनी, नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का गहरा ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो।

(a) प्रधान सचिव की योग्यता (Qualifications of the Principal Secretary)

अतः प्रत्येक परिषद का प्रधान सचिव अधिमानतः ऐसा व्यक्ति होगा —

- * जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त या हाल ही में सामान्य रूप से सेवानिवृत्त सिविल सेवक (recently retired civil servant) हो,
- * जिसका चरित्र निष्कलंक (unblemished integrity) हो,
- * जिसने निष्पक्ष, दक्ष और ईमानदार प्रशासन का प्रमाणित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया हो,
- * और जिसने सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट दक्षता और निष्ठा का प्रदर्शन किया हो।

इसके अतिरिक्त, नियुक्त व्यक्ति में निम्नलिखित गुण आवश्यक होंगे —

(i) वह सनातन धर्म का श्रद्धावान अनुयायी (a devout adherent of Sanatan Dharma) हो।

(ii) उसमें संतों और आध्यात्मिक नेताओं से संवाद करने की संवेदनशीलता, संस्कारशीलता, और विनम्रता हो — ताकि वह परिषद के भीतर और बाहर, सभी संतों के साथ निरंतर शालीनता, श्रद्धा और सौम्यता से व्यवहार कर सके।

(iii) वह भारत के संविधान, विधि-राज (rule of law) तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रति अडिग निष्ठा रखता हो — न तो भय से, न पक्षपात से, न किसी दबाव से विचलित हो।

(b) प्रधान सचिव की भूमिका और उत्तरदायित्व (Role and Responsibilities of the Principal Secretary)

प्रधान सचिव सचिवालय का मुख्य कार्यपालक और प्रशासनिक अधिकारी (Chief Executive and Administrative Officer) होगा।

उसकी मुख्य जिम्मेदारियाँ होंगी —

- * परिषद के सभी निर्णयों के विधिसंगत (lawful) क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना,
- * प्रशासनिक प्रक्रियाओं की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखना,
- * आध्यात्मिक नेतृत्व (Spiritual Leadership) और प्रशासनिक तंत्र (Administrative Machinery) के बीच संतुलन और समन्वय सुनिश्चित करना।

(6) सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तें (Appointment and Terms of Staff)

(a) सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी

इस अधिनियम के अंतर्गत सेवा नियमों (Service Rules) के अनुसार केंद्रीय संचालन परिषद द्वारा नियुक्त, पदच्युत और शासित किए जाएँगे।

इन नियुक्तियों में योग्यता, पारदर्शिता और परिषद के उद्देश्यों के प्रति निष्ठा का पालन अनिवार्य होगा।

(b) **लोक सेवक** : परिषद के सभी सदस्य तथा सचिवालय के कर्मचारी अपने कार्य-काल के दौरान लोक सेवक (Public Servants) माने जाएंगे, और उन पर लोक सेवकों के समान कानूनी एवं नैतिक उत्तरदायित्व लागू होंगे।

(c) **प्रथम परिषद की संरचना** (Initial Composition of the First Council):

पहली परिषद के छह (6) सदस्य —

जिनमें से एक-एक सदस्य भारत के प्रत्येक छह क्षेत्रों से होंगे (जैसा कि धारा 4(2)

(b) में निर्दिष्ट है) — भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे।

इनमें से दो सदस्य व्यवसायिक श्रेणी (Professional Category) से होंगे — अर्थात् एक विधिवेत्ता (jurist), एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा प्रबंधन विशेषज्ञ (management expert); तथा शेष चार सदस्य संत या धार्मिक विद्वान हों।

शेष पाँच (5) सदस्य नवगठित परिषद द्वारा स्वयं नियुक्त किए जाएंगे।

उसके उपरांत, सरकार को आगे किसी सदस्य की नियुक्ति का अधिकार नहीं रहेगा, सिवाय उन परिस्थितियों के जो इस अधिनियम में विशेष रूप से निर्दिष्ट हों।

भविष्य की नियुक्तियों के लिए सचिवालय योग्य संतों, आध्यात्मिक नेताओं और धार्मिक विद्वानों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रबंधन विशेषज्ञ और विधि वेत्ताओं की एक संभावित पैनल सूची तैयार करेगा। उनकी पात्रता एवं प्रमाणपत्रों की संरचित जाँच और सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ताकि परिषद द्वारा सूचित और पारदर्शी चयन किया जा सके।

(d) **राज्य संचालन परिषदों का गठन** (Constitution of State Governing Councils):

केंद्रीय परिषद अपने गठन के छह माह के भीतर प्रत्येक राज्य संचालन परिषद का गठन करेगी। यदि वह ऐसा करने में विफल रहती है, तो भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय एक माह के भीतर ऐसे राज्य परिषदों का गठन करेगा या रिक्त पदों को

भरेगा, ताकि संस्था के उद्देश्य बाधित न हों।

धारा 6 — कार्यदल (Task Forces)

(1) कार्यदल का गठन (Constitution of Task Forces)

परिषद् इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अपने प्रस्ताव (resolution) द्वारा, एक या एक से अधिक कार्यदल (Task Forces) गठित कर सकती है — जिनका उद्देश्य इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित शैक्षिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या सामाजिक उद्देश्यों को साकार करने हेतु विशिष्ट संस्थाओं, परियोजनाओं या उपक्रमों का प्रबंधन, संचालन और पर्यवेक्षण करना होगा।

ऐसे कार्यदल केंद्रीय संचालन परिषद् या राज्य संचालन परिषदों द्वारा गठित किए जा सकते हैं — जिनका अधिकार क्षेत्र और कार्यभार उनके भौगोलिक तथा प्रशासनिक दायरे के अनुसार होगा।

(2) कार्यदल की शक्तियाँ और कर्तव्य (Powers and Functions)

प्रत्येक गठित कार्यदल को निम्नलिखित शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ होंगी —

- (a) सौंपे गए उपक्रम, संस्था या परियोजना का दैनिक संचालन करना।
- (b) परिषद् द्वारा निर्धारित उद्देश्यों और दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना।
- (c) वार्षिक योजनाएँ, बजट और प्रगति रिपोर्ट परिषद् को प्रस्तुत करना।
- (d) संस्था के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मचारियों या स्वयंसेवकों की नियुक्ति, प्रबंधन या पदच्युति करना।
- (e) इस अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप, सेवा अनुबंध, विक्रेताओं के साथ समझौते, या साझेदारी व्यवस्थाएँ करना।
- (f) अपने कार्यक्षेत्र में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नैतिक अनुपालन सुनिश्चित करना।
- (g) परिषद् द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।
- (h) जब किसी संस्था की आंतरिक प्रशासनिक संरचना औपचारिक रूप से परिभाषित हो जाए, तो परिषद् उस संस्था और संबंधित कार्यदल के बीच प्रशासनिक संबंधों की समीक्षा और पुनर्परिभाषा कर सकती है, ताकि भूमिकाओं की स्पष्टता, प्रशासनिक

एकरूपता, और इस अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप समन्वय सुनिश्चित हो।

(3) कार्यदल की संरचना (Composition)

(a) प्रत्येक कार्यदल में न्यूनतम तीन (3) और अधिकतम नौ (9) सदस्य होंगे, जिनकी संख्या और संरचना परिषद् द्वारा उस परियोजना या उपक्रम की प्रकृति, विस्तार और जटिलता को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाएगी।

(b) सदस्यों की नियुक्ति उनके विषयगत ज्ञान (domain expertise), प्रशासनिक दक्षता, और सनातन धर्म के उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर की जाएगी, जैसा कि नियमों में निर्दिष्ट किया जाएगा।

(c) प्रत्येक कार्यदल में निम्नलिखित सदस्य अनिवार्य होंगे —

(i) कम-से-कम एक धर्माचार्य (Dharmacharya) — जो किसी संत या धार्मिक विद्वान के रूप में उस कार्यबल के उद्देश्यों और मिशन से संबंधित मान्य आध्यात्मिक तथा शास्त्रीय अधिकार रखता हो; परंतु ऐसे अपवादस्वरूप मामलों में, जहाँ किसी विशेष कार्यबल की प्रकृति धर्माचार्य की उपस्थिति को आवश्यक न ठहराए, इस प्रावधान से छूट दी जा सकती है।

(ii) विषय विशेषज्ञ (Subject-matter Expert): परियोजना या संस्था से संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ व्यक्ति।

(iii) कम-से-कम एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer – CEO) अथवा समकक्ष पदाधिकारी, जिसे किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थान से प्रबंधन (Management) का औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त हो तथा जिसे संस्थागत या परियोजना-स्तरीय प्रबंधन का न्यूनतम पाँच वर्षों का अनुभव हो; परंतु ऐसे मामलों में, जहाँ किसी प्रबंधन विशेषज्ञ का सम्मिलन पूर्णतः अनिवार्य न हो — उदाहरणार्थ, संचार और निधि-संग्रह (Fund-raising) से संबंधित किसी कार्यबल में — इस प्रावधान से छूट दी जा सकती है।

(4) कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति (Tenure and Reappointment)

(a) प्रत्येक कार्यदल का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष का होगा, जिसे परिषद द्वारा, उचित कारणों पर, प्रत्येक बार अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(b) सदस्यों को उनके प्रदर्शन मूल्यांकन (performance review) और परिषद की पदावर्तन नीति (rotation policy) के अनुसार पुनर्नियुक्त किया जा सकता है।

(5) प्रतिवेदन और पर्यवेक्षण (Reporting and Oversight)

(a) सभी कार्यदल परिषद की समग्र नीति और पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करेंगे।

(b) किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय, निर्धारित सीमा से अधिक वित्तीय लेन-देन, या दीर्घकालिक अनुबंध के लिए पूर्व स्वीकृति (prior approval) परिषद से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(6) कार्यदल का विघटन और पुनर्गठन (Dissolution and Reconstitution)

(a) विघटन या पुनर्गठन का अधिकार:

परिषद को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी कार्यदल को किसी भी समय विघटित (dissolve) या *पुनर्गठित (reconstitute) कर सके, परंतु ऐसा निर्णय लिखित कारणों (reasons recorded in writing) सहित लिया जाएगा।

ऐसे निर्णय के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं:

* कर्तव्यपालन में घोर लापरवाही या अनुशासनहीनता (dereliction of duty or misconduct);

* निरंतर कम प्रदर्शन या अक्षमता (persistent underperformance);

* संबंधित संस्था या परियोजना की संरचनात्मक पुनर्रचना (structural restructuring)।

(7) प्रथम कार्यदलों का गठन (Constitution of the First Task Forces)

(a) इस अधिनियम के अंतर्गत मुख्य राष्ट्रीय-स्तरीय परियोजनाओं और पहलों के लिए प्रारंभिक (initial) कार्यदल गठित किए जाएंगे। इन कार्यदलों की संचालन रूपरेखा (operational framework) और परियोजना-विशिष्ट अधिकार-क्षेत्र (project-specific mandates) का विवरण **अनुसूची-B (Schedule B)** में दिया जाएगा।

(b) ये कार्यदल केंद्रीय संचालन परिषद और राज्य संचालन परिषदों द्वारा अनुसूची-B में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार गठित किए जाएंगे, और ये परिषदों के प्रारंभिक कार्यान्वयन तंत्र (foundational administrative and executive bodies) के रूप में कार्य करेंगे — जो इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों को प्रारंभिक चरण (early stage) में प्रवर्तित, समन्वित और पर्यवेक्षित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(c) प्रत्येक कार्यदल के नाम, कार्यक्षेत्र, संरचना और प्रारंभिक अधिदेश (mandate) को निर्दिष्ट करते हुए केंद्रीय संचालन परिषद द्वारा एक औपचारिक अधिसूचना (formal notification) जारी की जाएगी, जिसे राजपत्र (official Gazette) या अन्य उपयुक्त प्रकाशन माध्यम में प्रकाशित किया जाएगा।

(d) प्रथम कार्यदल निम्नलिखित होंगे :

(i) पुरोहित प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यदल
(Task Force on Priest Training and Certification)

(ii) अध्यात्माचार्य प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यदल
(Task Force on Adhyatmāchārya Training and Certification)

(iii) सनातन विद्यालय श्रृंखला निर्माण कार्यदल
(Task Force on Creation of a Chain of Sanatan Schools with a Uniform Curriculum, with necessary local adaptations)

(iv) धार्मिक-ग्रंथ अनुवाद एवं प्रकाशन कार्यदल
(Task Force on Heritage Texts' Translation and Publication)

(v) धार्मिक-ग्रंथ वितरण एवं प्रसार कार्यदल

(Task Force on Heritage Texts' Distribution and Dissemination)

(vi) सनातन विकास हेतु संपत्ति अधिग्रहण कार्यदल

(Task Force on Property Acquisition for Sanatan Development)

(vii) संचार एवं निधि-संग्रह (Communication and Fund-Raising) के लिए कार्यदल

(8) अधिनियम के अन्य उद्देश्यों हेतु कार्यदल (Task Forces for Additional Objectives under the Act)

(a) केंद्रीय और राज्य संचालन परिषदों को यह अधिकार होगा कि

वे इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार अन्य कार्यदल भी गठित कर सकें।

(b) ऐसे कार्यदल निम्नलिखित में से हो सकते हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे —

(i) विस्थापित हिंदुओं के पुनर्वास एवं बसावट हेतु कार्यदल

(Task Force on the Rehabilitation and Settlement of Displaced Hindus) —

जिसका कार्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले हिंदुओं की पहचान, दस्तावेज़ीकरण, कल्याण और दीर्घकालीन पुनर्वास सुनिश्चित करना होगा।

(ii) तीर्थस्थलों पर परित्यक्त स्त्रियों के संरक्षण और पुनर्वास हेतु कार्यदल

(Task Force for the Protection and Settlement of Abandoned Women in Holy Places) —

जिसका दायित्व ऐसे पवित्र स्थलों या तीर्थ नगरों में रह रही परित्यक्त, निर्धन, या असहाय महिलाओं को उद्धार, आश्रय, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्संवेदन प्रदान करना होगा।

(c) ऐसे सभी कार्यदलों की संरचना, अधिदेश (mandate), और कार्यप्रणाली

विस्तृत दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो संबंधित संचालन परिषद् द्वारा तैयार किए जाएंगे, और यह दिशानिर्देश इस अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप होंगे।

(d) कार्यबलों का गठन क्रमशः किया जाएगा, निधि के प्रवाह तथा इस अधिनियम और केन्द्रीय संचालन परिषद् द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार, और इस अधिनियम में निर्दिष्ट रूपरेखा के भीतर। स्थापना का क्रम, जहाँ तक संभव हो, धारा 6(7)(d) में निर्दिष्ट अनुक्रम का पालन करेगा; तथापि, केन्द्रीय संचालन परिषद् विशेष परिस्थितियों में और कारण अभिलेखित करते हुए, आवश्यकता पड़ने पर इस क्रम में परिवर्तन कर सकेगी।

धारा 7 – अयोग्यता (Disqualification)

किसी भी व्यक्ति को केन्द्रीय संचालन परिषद्, किसी राज्य संचालन परिषद् अथवा उनकी संबंधित सचिवालयों में नियुक्त नहीं किया जाएगा—

(a) यदि वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, अथवा नियुक्ति-पूर्व दस वर्षों के भीतर किसी राजनीतिक दल का सदस्य रहा है; या

(b) जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय में ऐसा आपराधिक मामला लंबित है, जिसमें सात वर्ष या उससे अधिक कारावास का दंड निर्धारित है; या

(c) जिसे किसी आपराधिक प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है; या

(d) जो सनातन धर्म में आस्था नहीं रखता है या जो सनातन धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य मत या धर्म को मानता है।

(2) यदि किसी सदस्य की नियुक्ति के पश्चात उपर्युक्त में से कोई अयोग्यता प्रकट होती है और सम्यक जांच के पश्चात वह सत्य पाई जाती है, तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाएगी।

धारा 8 – अनुपस्थिति के आधार पर सदस्यता का समापन

(Disengagement on Account of Non-Participation)

परिषद के संत सदस्यों तथा अन्य सदस्यों के उच्च आध्यात्मिक स्थान का आदर करते हुए भी यह आवश्यक है कि परिषद की प्रभावी कार्यक्षमता के लिए उसके सदस्य नियमित रूप से बैठकों में भाग लें।

तदनुसार, यदि कोई माननीय सदस्य छह (6) महीनों की अवधि में कुल बैठकों (भौतिक तथा आभासी दोनों) में से आधे से अधिक बैठकों में उपस्थित न रहता है, जबकि सचिवालय द्वारा उसे उपस्थिति के निर्देशों से समय-समय पर लिखित रूप से अवगत भी कराया गया हो, तो ऐसी अनुपस्थिति को स्वैच्छिक अलगाव (Voluntary Disengagement) माना जाएगा।

ऐसी स्थिति में, सचिवालय सौजन्यपूर्वक एक औपचारिक संवाद जारी करेगा, जिसमें सदस्यता के समापन का उल्लेख किया जाएगा तथा उत्पन्न रिक्ति की सूचना केन्द्रीय संचालन परिषद, संबंधित राज्य संचालन परिषद(ओं) और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को दी जाएगी, और नवीन नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

ऐसी हटाई गई सदस्यता का विवरण केवल सूचनार्थ परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

अध्याय III – निधि के उद्देश्य और उपयोग (Objectives and Application of the Fund)

धारा 9 – अधिनियम के उद्देश्य (Objectives of the Act)

इस अधिनियम का सामान्य उद्देश्य एक पारदर्शी, उत्तरदायी तथा राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित विधिक ढाँचा और दान प्रणाली की स्थापना करना है, जिससे सनातन धर्म के समक्ष उपस्थित कुछ मूलभूत तथा दीर्घकाल से उपेक्षित चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

ये चुनौतियाँ—सिद्धान्तगत, संस्थागत, जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक—अब तक किसी भी प्रचलित वैधानिक या प्रशासनिक योजना के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से

संबोधित नहीं की गई हैं। यह अधिनियम इस ऐतिहासिक उपेक्षा की पूर्ति हेतु लाया गया है।

विशेष रूप से, इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य होंगे—

(1) सनातन के मूल ग्रंथों का प्रकाशन एवं प्रसार:

भगवद्गीता तथा रामकथा-परंपरा से संबंधित ग्रंथों जैसे सनातन के आधारभूत शास्त्रों का प्रकाशन एवं वितरण, भारत के बीस (20) करोड़ से अधिक सनातनी परिवारों तक सुनिश्चित करना।

(2) प्रशिक्षित आध्यात्मिक एवं सामुदायिक नेतृत्व का राष्ट्रीय संवर्ग स्थापित करना:

प्रशिक्षित पुरोहितों (Purohits) एवं अध्यात्माचार्यों (Adhyātmāchāryas) का एक राष्ट्रीय संवर्ग स्थापित करना, जो भारत के छह लाख (6,00,000) ग्रामों में तथा विदेशी क्षेत्रों में बसे सनातनी समुदायों के बीच समग्र आध्यात्मिक मार्गदर्शक और समुदाय-नेता के रूप में सेवा दे सकें।

(3) समन्वित शिक्षा को प्रोत्साहन:

ऐसे सनातनी गुरुकुलों और सनातनी विद्यालयों की स्थापना और संवर्द्धन, जहाँ धार्मिक एवं सांस्कृतिक और आधुनिक शिक्षा का समन्वयित पाठ्यक्रम प्रदान किया जाए।

(4) विस्थापित सनातनियों का पुनर्वास और समाकलन:

धार्मिक उत्पीड़न के कारण देश के भीतर अथवा विदेशी क्षेत्रों से विस्थापित हुए सनातन धर्मावलंबियों का पुनर्वास, पुनर्स्थापन और सामाजिक-सांस्कृतिक समाकलन — जिसमें, परंतु केवल उन्हीं तक सीमित न रहते हुए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रभावित परिवार भी सम्मिलित होंगे।

(5) धार्मिक स्थलों के आसपास निवासरत परित्यक्त अथवा निराश्रित महिलाओं का संरक्षण एवं कल्याण।

(6) प्राकृतिक अथवा मानवीय आपदाओं से प्रभावित सनातनी समुदायों को राहत प्रदान करना।

(7) ऐसे अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति जिनकी स्वीकृति केन्द्रीय संचालन परिषद् अथवा राज्य संचालन परिषद् द्वारा, केन्द्रीय परिषद् की पूर्वानुमति से, दी गई हो।

(8) सनातन धर्म के मूल्यों से संबंधित सभी शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भगवद्गीता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

धारा 10 – निधि का उपयोग (Application of the Fund)

निधि का उपयोग केवल सनातन समाज के कल्याणार्थ निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु किया जाएगा।

(1) ग्रंथ प्रकाशन एवं प्रसार (Scripture Publication and Dissemination)

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक सनातन परिवार को भगवद्गीता तथा एक रामकथा-आधारित विरासत ग्रंथ उसकी स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाए। इन ग्रंथों के प्रकाशन एवं वितरण हेतु केवल अनुमोदित तथा समावेशी अनुवादों का उपयोग किया जाएगा, जिनमें किसी भी वर्ग, जाति या लिंग के प्रति कोई अवमानना-पूर्ण या अपमानजनक उल्लेख न हो।

इस कार्य के पश्चात्, संचालन परिषद् के निर्णयानुसार अन्य सनातन विरासत ग्रंथों के प्रकाशन एवं वितरण की व्यवस्था भी की जा सकेगी।

(2) शिक्षा एवं प्रशिक्षण (Education and Training)

सनातन धर्म तथा उसके आध्यात्मिक, नैतिक और दार्शनिक उपदेशों का भावी पीढ़ियों तक सुव्यवस्थित संचार सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपक्रम किए जाएंगे —

(a) पुरोहित प्रशिक्षण संस्थान (Priests' Training Institutions)

देश-भर में आवासीय एवं अनावासीय प्रशिक्षण संस्थानों का एक सुव्यवस्थित तंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य वर्तमान में कार्यरत पुरोहितों (Purohits) का कौशल-वर्धन तथा नव-पुरोहितों का व्यवस्थित प्रशिक्षण होगा।

इसके अंतर्गत अल्पावधि एवं दीर्घावधि प्रमाणित पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से संस्कार-संबंधी शिक्षा एवं कर्मकाण्डीय (Ritualistic) विषयों के साथ-साथ भगवद्गीता का गहन अध्ययन तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले प्रमुख योग-मार्गों (Spiritual Paths) की समझ सम्मिलित होगी, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे —

ज्ञान-योग (Jñāna Yoga – ज्ञान का मार्ग),
ध्यान-योग (Dhyāna Yoga – ध्यान का मार्ग),
कर्म-योग (Karma Yoga – निष्काम कर्म का मार्ग),
भक्ति-योग (Bhakti Yoga – प्रेम-भक्ति का मार्ग),
जप-योग (Japa Yoga – नाम-स्मरण का मार्ग),
ईश्वर-ध्यानाश्रित देह-त्याग-योग (Īśvara-Dhyānāśrita Deha-Tyāga Yoga – ईश्वर-स्मरण में देह-त्याग का मार्ग),
परोपकार-योग (Paropakāra Yoga – निःस्वार्थ सेवा का मार्ग),
शरणागति-योग (Sharaṇāgati Yoga – पूर्ण समर्पण का मार्ग), तथा
गीता-ज्ञान-प्रसार-योग (Gita Jñāna Prasāra Yoga – गीता-ज्ञान के प्रसार का मार्ग)।

इसके अतिरिक्त, सभी प्रशिक्षुओं को परामर्श-कौशल (Counselling Skills) में दक्ष बनाया जाएगा, ताकि वे रोजगार, स्वरोजगार और सामुदायिक मार्गदर्शन में भी समाज-सेवा कर सकें। यह प्रशिक्षण इस अधिनियम की अनुसूची-H में संलग्न अध्यात्माचार्य पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा।

(iv) दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों में, अनुसूची 'H' में निर्दिष्ट अध्यात्माचार्य पाठ्यक्रम के कई घटकों को पुरोहितों के प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाएगा।

(b) अध्यात्माचार्य प्रशिक्षण हेतु आवासीय गुरुकुल (Residential Gurukuls for Adhyātmāchārya Training)

अध्यात्माचार्यों (Adhyātmāchāryas) के दीर्घकालीन शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए पूर्णतया आवासीय सनातन गुरुकुलों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित एवं

संचालित किया जाएगा।

इनमें विद्यार्थियों का प्रवेश लगभग सात (7) वर्ष की आयु से आरंभ होकर बाइस (22) वर्ष तक के प्रशिक्षण हेतु किया जाएगा।

इन गुरुकुलों में एक मानकीकृत एवं समन्वित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, जिसमें— शास्त्रीय अध्ययन (जैसे भगवद्गीता, रामायण, वेद एवं उपनिषद), संस्कार एवं यज्ञ-विधि, संस्कृत तथा विदेशी भाषाएँ, तुलनात्मक धर्म-अध्ययन (Comparative Religion), प्रायोगिक नैतिकता (Applied Ethics), और सामुदायिक नेतृत्व एवं आर्थिक सशक्तिकरण के व्यावहारिक कौशल सम्मिलित होंगे।

यह पाठ्यक्रम इस अधिनियम की अनुसूची-H में संलग्न दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित किया जाएगा।

किन्तु सनातन धर्म की तात्कालिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, केंद्रीय शासी परिषद अथवा कोई राज्य शासी परिषद, केंद्रीय शासी परिषद की पूर्वानुमति प्राप्त कर, प्रारंभिक चरण में एक त्वरित या संक्षिप्त पाठ्यक्रम की योजना बना सकती है, जिसके माध्यम से पाँच से सात वर्ष की अवधि में पूर्ण प्रशिक्षित अध्यात्माचार्य तैयार किए जा सकें। तथापि, सात वर्ष से बाईस वर्ष की आयु तक चलने वाला आदर्श पूर्णकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम समानांतर रूप से जारी रहेगा।

(c) धर्माधारित बाल-विद्यालय (Children's Schools with Dharmic Foundation)

स्व-वित्तपोषित, उच्च-स्तरीय एवं मूल्य-आधारित बाल-विद्यालयों की स्थापना और संचालन को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिनमें सामान्य (mainstream) शिक्षा के साथ-साथ सनातनी संस्कृति, मूल्य एवं दर्शन की शिक्षाएँ आयु-उपयुक्त और समावेशी रूप में प्रदान की जाएँगी। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को न केवल कॉन्वेंट स्कूलों से बेहतर अनुशासनात्मक संस्कार तथा भाषण और लेखन दोनों में अंग्रेज़ी पर उत्कृष्ट अधिकार प्राप्त होगा, बल्कि वे व्यवसायिक दृष्टि से संचालित महंगे विद्यालयों की तुलना में भी उच्च गुणवत्ता की समग्र शिक्षा प्राप्त करेंगे।

इन विद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम अपनाया जाएगा, जिसमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक अनुकूलन (Local Adaptations) की व्यवस्था रहेगी।

(d) डिजिटल शिक्षा एवं दूरस्थ अधिगम (Digital Education and Distance Learning)

(i) धर्मशास्त्र, संस्कृत, आध्यात्मिक नेतृत्व (Spiritual Leadership) तथा सनातन दृष्टिकोण (Sanatan Worldview) जैसे विषयों में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने हेतु डिजिटल शिक्षण केन्द्रों एवं ऑनलाइन प्लेटफार्मों की स्थापना की जाएगी, ताकि यह शिक्षा सभी भौगोलिक क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो सके।

(ii) ये केन्द्र उन कर्मरत व्यक्तियों, महिलाओं, विद्यार्थियों तथा अन्य इच्छुकों के लिए उपयोगी होंगे जो पूर्णकालिक आवासीय प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं हो सकते, जिससे शिक्षा-प्रक्रिया समावेशी एवं जीवनपर्यंत अधिगम (Lifelong Learning) पर आधारित बने।

(iii) वर्तमान में कार्यरत पुरोहितों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं समय-समय पर पुनःप्रशिक्षण (Retraining) की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रमाणित पाठ्यक्रम शामिल होंगे। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य उनके शास्त्रीय ज्ञान, अनुष्ठानिक दक्षता, नैतिक आचरण तथा समुदाय-सेवा में उनकी आध्यात्मिक एवं सामाजिक मार्गदर्शक क्षमता को सुदृढ़ करना होगा।

(e) शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान (Teacher Training Institutes)

भावी गुरुकुल-आचार्यों एवं सनातन विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी, जिससे शिक्षण-पद्धति (Pedagogy) उच्च-स्तरीय, सनातन सिद्धांतों के अनुरूप एवं आधुनिक शैक्षिक विधियों के साथ समन्वित रहे।

(f) मंदिर पुनर्जीवन एवं सशक्तिकरण (Temple Revitalisation)

पचास (50) वर्षों से कम न होने वाली अवधि के लिए नाममात्र के प्रतिफल (Token Consideration) पर पट्टे (Lease) द्वारा अथवा विधिवत पंजीकृत दान-पत्र (Registered Donation) के माध्यम से, पर्याप्त स्थान-युक्त मंदिरों एवं सामुदायिक केन्द्रों का अधिग्रहण किया जाएगा।

ऐसे मंदिरों या केन्द्रों का नवीनीकरण एवं पुनःसक्रियकरण इस उद्देश्य से किया जाएगा कि उन्हें—

- (1) आध्यात्मिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में, तथा
- (2) रोजगार एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में उपयोग में लाया जा सके।

बशर्ते कि इस प्रकार के उपयोग से मंदिर-पूजा की पवित्रता या धार्मिक अनुष्ठानों की नियमितता किसी प्रकार प्रभावित न हो।

इन मंदिरों में प्रशिक्षित पुरोहितों एवं अध्यात्माचार्यों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि वे इन स्थलों को सजीव आध्यात्मिक केन्द्रों एवं स्थानीय समुदायों के सर्वांगीण विकास-केन्द्रों में रूपांतरित कर सकें।

(g) भूमि अधिग्रहण एवं क्रय (Acquisition and Lawful Purchase of Land)

बाल-विद्यालयों, अध्यात्माचार्य-प्रशिक्षण एवं पुरोहित-शिक्षण संस्थानों के संचालन एवं विस्तार, अथवा इस अधिनियम के अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक भूमि का विधिवत अधिग्रहण अथवा क्रय किया जा सकेगा, बशर्ते कि यह क्रय-प्रक्रिया प्रचलित भू-अर्जन कानूनों, पर्यावरणीय विनियमों, क्षेत्रीय नियोजन मानकों (Zoning Norms), तथा अन्य वैधानिक या स्थानीय शासन-प्रावधानों के अनुरूप हो।

(h) भवनों एवं अधिसंरचनाओं का निर्माण, विस्तार या रख-रखाव (Construction, Renovation, Expansion or Maintenance of Buildings and Infrastructure)

परिषद् द्वारा स्वामित्व-प्राप्त या नियंत्रित भवनों, परिसरों, संस्थानों, प्रशिक्षण-केन्द्रों, कार्यालयों, छात्रावासों, सांस्कृतिक केन्द्रों तथा संबद्ध अधिसंरचनाओं के निर्माण, नवीनीकरण, विस्तार या रख-रखाव की व्यवस्था की जाएगी, ताकि अधिनियम के उद्देश्यों की प्रभावी पूर्ति सुनिश्चित हो सके।

यह समस्त कार्य प्रचलित भवन संहिता (Building Codes), सुरक्षा विनियमों, एवं स्थानीय प्राधिकरणों की स्वीकृतियों के अधीन होंगे।

(i) असहाय सनातनियों के लिए सहायता (Support to Vulnerable Sanātanīs)

वृद्ध अथवा परित्यक्ता महिलाओं, शरणार्थियों, तथा धार्मिक उत्पीड़न या आपदा-पीड़ित हिन्दुओं को सहायता एवं संरक्षण प्रदान किया जाएगा।

(j) आपदा-राहत (Disaster Relief)

बाढ़, भूकम्प, सूखा अथवा अन्य प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं की स्थिति में प्रभावित सनातन समुदायों को राहत एवं सहायता प्रदान की जाएगी।

(k) अनुसंधान एवं विरासत विकास (Research and Heritage Development)

सनातन विरासत को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से—

शोध,

डिजिटल सामग्री (Digital Content) की तैयारी,

प्रामाणिक अनुवादों का निर्माण,

सामुदायिक सर्वेक्षणों का आयोजन, तथा

पाण्डुलिपियों (Manuscripts) एवं अन्य विरासत सामग्रियों का संकलन, संरक्षण एवं डिजिटलीकरण किया जाएगा।

परिषद् सर्वसम्मति से, इस अधिनियम के समग्र उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयुक्त समझे जाने पर, उपर्युक्त उद्देश्यों में अन्य उद्देश्य भी जोड़ सकती है।

अध्याय IV – सुरक्षा एवं प्रतिबंध (Chapter IV – Safeguards and Restrictions)

धारा 11. सुरक्षा प्रावधान (Safeguards)

(1) स्वैच्छिक अंशदान:

इस निधि में दिए जाने वाले सभी अंशदान पूर्णतः स्वैच्छिक (voluntary) होंगे। किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन पर योगदान देने के लिए कोई दबाव, बाध्यता या अनिवार्यता नहीं होगी।

(2) अन्य धार्मिक समुदायों के अधिकार अप्रभावित:

इस अधिनियम में निहित कोई भी प्रावधान संविधान द्वारा प्रदत्त अन्य धार्मिक समुदायों या अल्पसंख्यकों के अधिकारों को किसी भी प्रकार से सीमित या प्रभावित नहीं करेगा।

धारा 12. निधि के निषिद्ध उपयोग (Prohibited Uses of the Fund)

(a) मंदिर निर्माण पर प्रतिबंध :

इस निधि का उपयोग भारत में नए मंदिरों के निर्माण हेतु नहीं किया जाएगा; किन्तु यह अनुमति होगी कि यदि कोई बड़ा सामुदायिक संस्थान (community institution) इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा हो, तो उसके परिसर में लघु आकार का मंदिर शामिल किया जा सके।

यह प्रतिबंध इस आधार पर लगाया गया है कि मंदिर निर्माण के लिए अन्य पर्याप्त स्रोत पहले से ही उपलब्ध हैं, जबकि इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निधि उन उच्चतर और व्यापक उद्देश्यों के लिए समर्पित है जो प्रायः उपेक्षित रह जाते हैं — जैसे कि शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास और धर्म-संस्कृति का संरक्षण।

(b) प्रतिमाओं की स्थापना पर प्रतिबंध :

निधि का उपयोग किसी भी व्यक्ति या देवता की प्रतिमा, मूर्ति, या स्मारक (statue, idol, or commemorative monument) के निर्माण, स्थापना, या प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा — चाहे वे ऐतिहासिक, धार्मिक या समकालीन क्यों न हों।

हालाँकि, यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा यदि ऐसी प्रतिमा या मॉडल शैक्षिक या शिक्षण उद्देश्यों (pedagogical purposes) के लिए आवश्यक हो, जैसे कि किसी गुरुकुल या सनातन संस्था में शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग के लिए। ऐसी

स्थिति में भी यह कार्य केवल संबंधित संचालन परिषद की पूर्व स्वीकृति (prior approval) से ही किया जा सकेगा।

(c) उत्सवों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए निधि का प्रयोग:

इस निधि का उपयोग ऐसे धार्मिक उत्सवों, अनुष्ठानों या समारोहों के लिए नहीं किया जाएगा जो पहले से ही किसी सार्वजनिक, निजी या संस्थागत स्रोत से वित्तपोषित हैं — जैसे मंदिर आय, राज्य अनुदान, सामुदायिक दान, या अन्य स्रोत।

परंतु यह प्रावधान लागू नहीं होगा उन धार्मिक, सांस्कृतिक या शैक्षिक उत्सवों पर जो इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित गुरुकुलों, विद्यालयों या अन्य संस्थानों के परिसरों में आयोजित किए जाते हैं, और जिनका उद्देश्य शैक्षिक या सांस्कृतिक विकास हो।

(d) सम्प्रदायगत उपयोग पर प्रतिबंध (Restriction on Sectarian Use of Funds)

इस निधि का उपयोग किसी ऐसे कार्य, योजना या गतिविधि में नहीं किया जाएगा जो केवल किसी एक संप्रदाय, उपसंप्रदाय या पंथ (sect, sub-sect, or denomination) के संकीर्ण हितों की पूर्ति के लिए हो, जब तक कि उससे व्यापक सनातन समाज को सार्थक एवं प्रत्यक्ष लाभ न प्राप्त हो।

निधि से किया गया प्रत्येक व्यय इस अधिनियम के समावेशी उद्देश्यों (inclusive objectives) के अनुरूप होना चाहिए, और उसका परिणाम समग्र सनातन धर्म समुदाय की एकता, सांस्कृतिक समृद्धि, तथा आध्यात्मिक उत्थान के संवर्धन में सहायक होना चाहिए — न कि किसी विशिष्ट परंपरा, सम्प्रदाय या वंश (lineage) के सीमित या विशेष हितों को आगे बढ़ाने के लिए।

अध्याय V – जवाबदेही (Accountability)

धारा 13. वित्तीय आवंटन (Financial Allocation)

(1) राज्य खातों का उपयोग और केंद्रीय आवंटन (Use of State Accounts)

and Central Allocation)

(a) किसी राज्य खाते में एकत्र की गई निधि का प्रमुख उपयोग उसी राज्य के भीतर किया जाएगा, जिसका व्यय उस राज्य की शासन परिषद (State Governing Council) इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए करेगी।

(b) केंद्रीय निधि (Central Fund) से अतिरिक्त आवंटन उन राज्यों या क्षेत्रों को किया जा सकता है जहाँ सनातन सभ्यता के अनुयायी अल्पसंख्यक हैं या जहाँ वे धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हैं।

(c) केंद्रीय संचालन परिषद (Central Governing Council) इस अधिनियम में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत देश के किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्वतंत्र परियोजनाएँ संचालित कर सकती है।

(d) जिन राज्यों की निधियाँ पर्याप्त हैं, वे अपने विवेक से उन अन्य राज्यों को ऋण या वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती हैं जिनकी निधियाँ अपर्याप्त हैं, बशर्ते यह सहायता सनातन समाज की सेवा के इस अधिनियम द्वारा विहित किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए हो।

(e) निधि की कुल वार्षिक प्राप्तियों का 10 प्रतिशत (10%) से अधिक भाग प्रशासनिक व्ययों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। इसमें वेतन, कार्यालय संचालन, उपयोगिताएँ, संचार, कानूनी अनुपालन, और लेखा परीक्षण व्यय आदि सम्मिलित होंगे।

(f) निधि का प्राथमिक उपयोग (Primary Utilisation of Fund)

निधि की शेष 90 प्रतिशत राशि में से 70 प्रतिशत (70%), इस अधिनियम के अंतर्गत पहली केंद्रीय संचालन परिषद की स्थापना के बाद प्रारंभिक 7 वर्षों की अवधि में, निम्नलिखित उद्देश्यों पर व्यय की जाएगी —

(i) प्रत्येक पहचाने जा सकने वाले सनातन परिवार तक भगवद् गीता और राम-कथा-आधारित एक ग्रंथ की एक-एक प्रति का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित करना;

(ii) कार्यरत पुरोहितों सहित, पुरोहितों (Purohīts) के प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए संगठित और प्रमाणित कार्यक्रमों का संचालन;

(iii) अध्यात्माचार्यों (Adhyatmāchāryas) का दीर्घकालीन प्रशिक्षण, जिन्हें समग्र आध्यात्मिक शिक्षक (holistic spiritual educators) के रूप में तैयार किया जाएगा — इस उद्देश्य के साथ कि आने वाले वर्षों में कम-से-कम दस लाख (1,000,000) ऐसे प्रशिक्षित अध्यात्माचार्य देश के छः लाख (600,000) से अधिक गाँवों और नगरीय समुदायों में सेवा दे सकें।

प्रारंभिक सात वर्षों की अवधि पूर्ण होने पर, केंद्रीय एवं राज्य संचालन परिषदें संयुक्त रूप से निधि के उपयोग, प्राथमिकताओं एवं आवंटनों की समीक्षा करेंगी, और समाज की आध्यात्मिक, शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप उनमें आवश्यक संशोधन करेंगी।

परंतु इस अधिनियम द्वारा निषिद्ध किसी भी कार्य या उद्यम पर निधि का व्यय नहीं किया जाएगा। निधि का उपयोग केवल इस अधिनियम में उल्लिखित उद्देश्यों एवं कार्यों तक सीमित रहेगा; परिषदें केवल उनके मध्य प्राथमिकता तथा व्यय की प्रतिश-तात्मक सीमा में आवश्यक परिवर्तन कर सकेंगी।

तथापि, यदि कुल राज्य शासी परिषदों में से कम से कम नब्बे प्रतिशत (90%) परिषदें लिखित रूप में अपनी सहमति प्रदान करें, तो सनातन धर्म के हित में कोई नया उद्यम या कार्य — बशर्ते कि वह इस अधिनियम द्वारा निषिद्ध कार्यों की श्रेणी में न आता हो — केंद्रीय शासी परिषद की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत, इस निधि के उद्देश्यों में जोड़ा जा सकेगा।

(g) अन्य धर्मावलंबियों के कल्याण हेतु सहायता (Relief for Other Communities)

किसी अन्य धर्म या समुदाय के व्यक्तियों के लिए, दान में प्राप्त कुल राशि के 90% के 5 प्रतिशत (5%) से अधिक राशि कल्याण, मानवीय सहायता या सामुदायिक सद्भाव (inter-community harmony) के प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं की जा सकती है, किंतु उल्लिखित सीमा के भीतर भी यह व्यय संबंधित संचालन परिषद के विवेक के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

धारा 14 – लेखा परीक्षण और प्रतिवेदन (Audit and Reporting)

(1) वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षण (Annual Report and Audit)

संचालन परिषद (Council) प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) प्रकाशित करेगी, जिसका लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General – CAG) द्वारा किया जाएगा।

यह प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें वित्तीय विवरण, प्राप्तियाँ, व्यय, परियोजनाएँ, और कार्यक्रमों की प्रगति का पूर्ण विवरण होगा।

(2) सार्वजनिक पारदर्शिता (Public Transparency)

सभी वित्तीय अभिलेख, खातों की स्थिति, और कार्यक्रमगत गतिविधियों को जनसामान्य की जानकारी के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

इस अधिनियम के अंतर्गत निधि का संचालन, अनुपालन (compliance) से संबंधित दायित्व, और दानदाताओं को प्राप्त अधिकार और सुविधाएँ — इन सबका विस्तृत विनियमन अनुसूची A (Schedule A) में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार होगा, जिसका शीर्षक है —

“वित्तीय लेखा, अनुपालन और दानदाता लाभ” (Financial Accounts, Compliance and Donor Benefits)।

अध्याय VI – विविध प्रावधान (Miscellaneous Provisions)

धारा 15 – नियम निर्माण का अधिकार (Rule-Making Authority)

केंद्रीय संचालन परिषद को यह अधिकार होगा कि वह इस अधिनियम के उद्देश्यों

की पूर्ति के लिए नियम (Rules), विनियम (Regulations), और दिशा-निर्देश (Guidelines) बनाए, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हों।
ऐसे सभी नियम संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, और वे वही स्वरूप ग्रहण करेंगे जो संसद द्वारा अनुमोदन, अस्वीकृति या संशोधन के पश्चात निर्धारित किया जाए। यदि संसद द्वारा छह माह की अवधि तक प्रस्तुत नियमों पर कोई आपत्ति या संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाता, तो ऐसे नियम स्वयंस्वीकृत (अनुमोदित) माने जाएंगे।

धारा 16 – संरक्षण प्रावधान (Savings)

इस अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जो सिख, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, पारसी या संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समुदाय के अधिकारों को कम करे या उन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करे।

धारा 17 – अन्य विविध उपबंध (Miscellaneous Provisions)

(a) संचालन नियम (Operational Rules):

केंद्रीय संचालन परिषद अपने स्वयं के कार्यकलाप, राज्य संचालन परिषदों के कार्य-कलाप, तथा इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित या वित्तपोषित संस्थानों के संचालन हेतु विस्तृत नियम निर्धारित कर सकेगी।

(b) आध्यात्मिक पर्यवेक्षण में रोजगार-सहायकों की नियुक्ति (Appointment of Employment Assistants under Spiritual Oversight):

मंदिर के अधिष्ठित अध्यात्माचार्य (Adhyatmāchārya) की आध्यात्मिक मार्गदर्शक भूमिका के अधीन रहते हुए संचालन परिषद वेतनभोगी एवं प्रशिक्षित रोजगार-सहायकों (Employment Assistants) की नियुक्ति कर सकेगी, जो युवाओं को रोजगार, उद्यमिता (entrepreneurship), और स्वरोजगार के विषयों में परामर्श प्रदान करेंगे।

इन पदों पर उन प्रमाणित पुरोहितों (Certified Purohits) को प्राथमिकता दी जाएगी जो निधि द्वारा स्थापित या समर्थित संस्थानों से प्रशिक्षित हों और जिन्होंने अध्यात्माचार्य पाठ्यक्रम (Schedule H) के अनुरूप जीविका-परामर्श (Livelihood Counselling) का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह होगा कि अध्यात्माचार्य अपने धार्मिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक मार्गदर्शन-संबंधी उत्तरदायित्वों पर केंद्रित रह सकें और उन्हें नियमित रोजगार-संबंधी कार्यों में उलझना न पड़े, अथवा जब आवश्यकतानुसार कुछ मंदिरों में अध्यात्माचार्य की कमी के कारण पुरोहितों को ही प्रतिनियुक्त करना आवश्यक हो।

जहाँ किसी क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में अध्यात्माचार्य (Adhyātmāchārya) नियुक्ति हेतु उपलब्ध न हों, वहाँ ऐसे प्रशिक्षित एवं प्रमाणित पुजारी, जिन्होंने रोजगार परामर्शी (Employment Counsellor) के रूप में भी योग्यता प्राप्त की हो, उन्हें स्वतंत्र रूप से उन मंदिरों में नियुक्त किया जा सकेगा, ताकि वे अपने पुजारी-कर्तव्यों के साथ-साथ व्यावसायिक परामर्श (Vocational Counselling) से संबंधित कार्य भी संपादित कर सकें। ऐसी नियुक्तियाँ संबंधित शासी परिषद के सामान्य आध्यात्मिक पर्यवेक्षण (Spiritual Supervision) के अधीन की जाएँगी।

(c) ग्रामीण अथवा सेवावंचित क्षेत्रों में नियुक्त पुरोहितों और अध्यात्माचार्यों हेतु सहायता-भत्ता (Support Allowance):

वे पूर्णतः प्रशिक्षित पुरोहित (Priests) अथवा अध्यात्माचार्य (Adhyatmāchārya) जो ग्रामीण मंदिरों अथवा सेवावंचित क्षेत्रों में कार्य-भार स्वीकार करते हैं, उन्हें आत्मनिर्भरता प्राप्त होने तक मासिक सहायता-भत्ता (Monthly Support Allowance) प्रदान किया जा सकेगा, यह निधियों की उपलब्धता, संबंधित संचालन परिषद द्वारा निर्धारित पालता-मानदंड, तथा निर्धारित राशि की सीमा के अधीन होगा।

(d) अध्यात्माचार्य प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन एवं निरंतरता हेतु प्रोत्साहन (Incentives for Enrolment and Retention of Adhyatmāchārya Trainees):

संचालन परिषदें परिवारों को दीर्घकालिक अध्यात्माचार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपने बच्चों के नामांकन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन योजनाएँ (Incentive Schemes) बना सकेंगी, जिनमें निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित हो सकते हैं—

(i) अभिभावक भत्ता (Parental Stipends):

प्रशिक्षण अवधि के दौरान बालक की आय-उत्पादक गतिविधियों में अनुपलब्धता के कारण अभिभावकों को हुए अवसर-व्यय की आंशिक पूर्ति हेतु यथोचित भत्ते का प्रावधान।

(ii) प्रशिक्षार्थियों हेतु निःशुल्क सुविधाएँ (Free Facilities):

सभी अध्यात्माचार्य प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, समूह-स्वास्थ्य-बीमा, तथा शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

(iii) प्रशिक्षणोत्तर आय-सहायता (Post-Training Income Support):

प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत प्रारंभिक सामुदायिक सेवा-अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त होने तक सीमित अवधि के लिए आय-गारंटी अथवा संक्रमणकालीन भत्ता। सभी योजनाएँ वित्तीय सतर्कता, प्रशासनिक संभवता, और अधिनियम के सर्वोपरि उद्देश्यों के अनुरूप निर्मित की जाएंगी।

(e) धार्मिक शिक्षा हेतु सहमति

सभी छात्र, जिन्होंने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है, तथा अल्पवयस्क छात्रों के माता-पिता या विधिक अभिभावक, जो किसी सनातन विद्यालय या सनातन सेवा निधि के अधीन, या उसके द्वारा स्थापित, वित्तपोषित अथवा सहयोगित किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें यह माना जाएगा कि उन्होंने पाठ्य-क्रम के अंग के रूप में धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सहमति प्रदान की है, जब तक कि वे प्रवेश के समय धार्मिक शिक्षा से संबंधित कक्षाओं से बाहर होने (opt-out) की स्पष्ट रूप से घोषणा न कर दें।

यह "ऑफ आउट" का प्रावधान केवल सनातन विद्यालयों पर लागू होगा, गुरुकुलों या पुजारी अथवा अध्यात्माचार्य प्रशिक्षण संस्थानों पर नहीं, जहाँ "ऑफ आउट" का कोई प्रावधान नहीं होगा।

स्पष्टीकरण : केवल भगवद्गीता के अध्ययन के लिए आयोजित कक्षाएँ, जो मूलतः दार्शनिक एवं नैतिक स्वरूप की होती हैं, धार्मिक शिक्षा के रूप में नहीं मानी जाएंगी।

(f) भारत के अंदर सफल संचालन के पश्चात अंतरराष्ट्रीय शाखाएँ (International Branches):

भारत के अंदर पाँच वर्ष से कम न होने वाली सफल कार्यक्षमता और सार्थक अनुभव प्राप्त होने पर केंद्रीय शासी परिषद (किंवा केन्द्रीय सनातन सेवा निधि संचालन परिषद) विदेशों में, जहाँ सनातनी जनसंख्या निवास करती है, अंतरराष्ट्रीय शाखाएँ स्थापित कर सकेगी।

प्रत्येक ऐसी शाखा को राज्य संचालन परिषद के समान स्थिति और आवश्यक स्वा-यत्तता प्राप्त होगी, और वे अपने आयोजक देश के कानूनों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करेंगी।

इन शाखाओं को यह अधिकार होगा कि वे भगवद्गीता और रामकथा-आधारित ग्रंथों का निःशुल्क वितरण और प्रचार कर सकें, यहाँ तक कि अन्य धर्मों के इच्छुक व्यक्तियों के लिए भी, जिससे अंतरधार्मिक समझ, सांस्कृतिक मेल-मिलाप, और वैश्विक शांति-संदेश का प्रसार हो।

(g) वार्षिक संयुक्त अधिवेशन (Annual Joint Plenary Meeting):

सभी केंद्रीय और राज्य संचालन परिषदों का एक संयुक्त वार्षिक अधिवेशन (Annual Plenary Meeting) प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाएगा जिसमें पिछले वर्ष की समीक्षा, व्यवस्थागत चुनौतियाँ, रणनीतिक प्राथमिकताएँ, और अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

(h) अधिवेशन की आयोजन-जिम्मेदारी (Hosting Responsibility):

वार्षिक संयुक्त अधिवेशन का आयोजन-दायित्व केंद्रीय और राज्य संचालन परिषदों के बीच परिपल क्रम (rotational basis) पर निश्चित किया जाएगा, जिसका वार्षिक कार्यक्रम केंद्रीय संचालन परिषद द्वारा राज्य परिषदों से परामर्श कर निर्धारित किया जाएगा।

(i) अधिवेशन में प्रधान सचिवों की अनिवार्य भागीदारी (Mandatory Participation):

सभी परिषदों के प्रधान सचिव (Principal Secretaries) या उनकी अनुपस्थिति

में उनके अधिकृत उप-प्रतिनिधि (Deputies) का अधिवेशन में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वे अपनी-अपनी परिसरों से संबंधित प्रतिवेदन, प्रस्तुतियाँ, और रणनीतिक प्रस्ताव नियत कार्यसूची (agenda) के अनुसार प्रस्तुत करेंगे।

(j) भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक अनुदान या ऋण (Initial Grant or Loan by Government of India):

भारत सरकार, अपनी विवेकाधिकार से, पाँच करोड़ रुपये (₹5,00,00,000) तक का अनुदान या ऋण इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित सनातन सेवा निधि को प्रदान कर सकेगी, जिसका उद्देश्य संस्थान के प्रारंभिक संचालन — जैसे अवसंरचना, कर्मचारी नियुक्ति, और प्रशासनिक व्यवस्थाओं — को सुगम बनाना होगा।

(k) विशेष अधिकारी की नियुक्ति (Officer on Special Duty):

सरकार एक विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रारंभिक स्थापन, अंतर-विभागीय समन्वय, और संचालन में सहायता प्रदान करेगा।

(l) मिशनरी भावना से सेवा (Spirit of Missionary Service):

संचालन परिषदों के सभी सदस्य और सचिवालय के कर्मचारी यह स्मरण रखेंगे कि यह एक दैवी और पवित्र मिशन है। अतः उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे निःस्वार्थ भाव से, बिना अनुचित लाभ या सुविधाओं की इच्छा के, कार्य करें।

(i) टास्क फोर्स को वेतन : अपने कार्यों की कठिन एवं बहुआयामी प्रकृति तथा समयबद्ध लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक लगातार तत्परता और कार्यकाल की संक्षिप्तता को ध्यान में रखते हुए, कार्यबल (Task Forces) के सदस्यों को उनके पदों एवं दायित्वों के अनुरूप नियत वेतन (fixed salary) स्वीकृत किया जाएगा, बशर्ते कि वे, यदि इच्छुक हों, तो स्वेच्छा से इससे कम वेतन स्वीकार करने का विकल्प चुन सकते हैं।

(ii) सचिवलायक कर्मचारियों को भी वेतन अथवा मानदेय : सचिवालय के कर्मचारियों को मानदेय या वेतन के रूप में पारिश्रमिक दिया जा सकता है, परंतु ऐसे सभी

भुगतान उस वित्तीय सीमा के भीतर ही किए जाएंगे जो संचालन परिषद द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन अधिसूचित की जाएंगी, तथा केवल उसी सीमा तक दिए जाएंगे जितनी राशि संबंधित व्यक्ति द्वारा औपचारिक रूप से अनुरोधित की गई हो।

(iii) शासी परिषद के सदस्य अवैतनिक : संचालन परिषदों (Governing Councils) के सदस्य, जो पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं और सामान्यतः अपने स्वतंत्र आय स्रोत रखते हैं, अपनी सेवाओं के लिए वेतन प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि कोई सदस्य मानदेय स्वीकार करने का इच्छुक हो, तो परिषद की स्वीकृति तथा निर्धारित सीमा के भीतर ऐसा मानदेय प्रदान किया जा सकता है।

सभी परिषद सदस्य, तथापि, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी आधिकारिक भौतिक बैठक में भाग लेने या किसी कार्यभार के संबंध में यात्रा करने की स्थिति में, लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता (TA) एवं दैनिक भत्ता (DA) की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

अनुसूची A

वित्तीय लेखाजोखा, अनुपालन तथा दानदाताओं के लाभ (संदर्भ : धारा 14 (2))

1. लेखों का नामकरण एवं संरचना

(क) केंद्रीय खाता

एक एकल केंद्रीय बैंक खाता निम्न नाम से संचालित किया जाएगा –
"सनातन सेवा निधि – केंद्रीय खाता"

यह खाता किसी प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक, अधिमानतः भारतीय स्टेट बैंक, में खोला जाएगा तथा इसे सरल और जनस्मरणीय खाता संख्या प्रदान की जाएगी, जैसे –

999999999999 (ग्यारह क्रमागत 9), अथवा ऐसा कोई अन्य प्रारूप जैसा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाते

प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने क्षेत्र में निम्न शीर्षक से एक पृथक निर्दिष्ट खाता संचालित करेगा –

"सनातन सेवा निधि – [राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम] प्रकरण"

(उदाहरणार्थ : "सनातन सेवा निधि – गुजरात प्रकरण")

खाता संख्या का प्रारूप केंद्रीय खाते के समान होगा, जिसमें केवल अंतिम दो अंक परिवर्तित होंगे। उदाहरणार्थ –

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र – उदाहरण खाता संख्या

गुजरात – 999999999911

कर्नाटक – 999999999912

उत्तर प्रदेश – 999999999913

दिल्ली – 999999999914

ऐसे सभी खातों की पूर्ण सूची अनुसूची A-1 के रूप में रखी जाएगी, जिसे समय-समय पर केंद्रीय संचालन परिषद द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

2. वैधानिक पंजीकरण एवं कर लाभ

सनातन सेवा निधि, केन्द्रीय एवं राज्य स्तरों पर, सभी प्रासंगिक वैधानिक एवं वित्तीय पंजीकरणों की पात्र मानी जाएगी अथवा उन्हें प्राप्त मानी जाएगी, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं रहेंगे –

* आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत –

* धारा 12AB (परोपकारी पंजीकरण)

* धारा 80G (दानदाताओं को कर कटौती लाभ)

* कंपनियाँ अधिनियम, 2013 के अंतर्गत –

* भारतीय कंपनियों से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि प्राप्त करने हेतु पंजीकरण

* तथा अन्य कोई भी पंजीकरण, प्रमाणपत्र या मान्यता, राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय ढाँचे के अंतर्गत, जिससे दानदाताओं को अधिकतम वैध लाभ प्राप्त हो सके।

3. पात्र दानदाताओं की श्रेणियाँ

निधि में दान देने वाले निम्न श्रेणियों में से कोई भी हो सकते हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं –

* व्यक्तिगत व्यक्ति, निवासी अथवा अनिवासी भारतीय (NRI)

* भारतीय कंपनियाँ (CSR योगदानकर्ता)

* भारतीय न्यास या दान निधियाँ

* अंतरराष्ट्रीय परोपकारी संस्थाएँ

* विदेशी फाउंडेशन, फंडरेज़र या दान एजेंसियाँ

* हिन्दू प्रवासी समुदाय या उनके संगठन

4. दानदाताओं के अधिकार एवं प्रोत्साहन

(क) समान लाभ उपबंध

सभी वैध दानदाता, चाहे भारतीय हों या विदेशी, व्यक्तिगत हों या संस्थागत, उन्हें भारत अथवा विदेश में पंजीकृत किसी भी अन्य सार्वजनिक ट्रस्ट, निधि या दान संस्था के समान सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होंगे, जिनमें सम्मिलित हैं –

- * भारतीय कानून के अंतर्गत कर-छूट (जैसे धारा 80G, CSR पात्रता)
- * दानदाता की पहचान सार्वजनिक रखने अथवा गोपनीय रखने का अधिकार
- * दानदाता-सम्मान कार्यक्रमों में पात्रता

(ख) रसीद एवं प्रमाणीकरण

प्रत्येक दान की डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित रसीद जारी की जाएगी, जिसमें निम्न विवरण अंकित होगा –

- * निधि का पैन / टैन (PAN/TAN)
- * धारा 80G प्रमाणपत्र संख्या (जहाँ लागू हो)
- * पारदर्शिता हेतु दान-लेज़र से संबद्ध क्यूआर कोड

5. विदेशी अंशदान प्रबंधन (FCRA)

(क) FCRA पंजीकरण

केंद्रीय संचालन परिषद विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त करेगी और बनाए रखेगी।

(ख) FCRA खाता संरचना

सभी विदेशी अंशदान निम्न खातों में जमा किए जाएंगे –

- * भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, नई दिल्ली में एक निर्दिष्ट FCRA खाता
- * परियोजना-वार व्यय हेतु अधिकृत संबद्ध उपयोग खाते

(ग) विदेशी निधियों का अनुमेय उपयोग

विदेशी अंशदान केवल निम्न प्रयोजनों हेतु उपयोग किए जाएंगे –

- * परोपकारी, शैक्षिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य
- * विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 11(1) के अंतर्गत अनुमेय अन्य प्रयोजन, परंतु किसी निषिद्ध या राजनीतिक प्रयोजन हेतु नहीं।

6. पारदर्शिता एवं पर्यवेक्षण

(क) केंद्रीय दान पोर्टल

केंद्रीय संचालन परिषद् एक वास्तविक-समय दान-अनुगमन डैशबोर्ड विकसित एवं बनाए रखेगी, जिसमें निम्न विवरण होंगे –

- * केंद्र एवं राज्य-वार दान प्रवाह
- * परियोजना-वार निधि उपयोग
- * वार्षिक प्रतिवेदन एवं दानदाता लेखा-परीक्षण

(ख) स्वतंत्र लेखा-परीक्षण एवं पर्यवेक्षण

निधि के सभी लेखे निम्न के अधीन होंगे –

- * भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (CAG) से लेखा-परीक्षण
- * केंद्रीय परिषद् की अनुपालन समिति के अधीन, आवश्यकता पड़ने पर या किसी शिकायत पर, स्वतंत्र तृतीय-पक्ष लेखा-परीक्षण

7. वित्तीय सुरक्षा उपाय

(क) खाता संचालन प्रोटोकॉल

प्रत्येक खाता संयुक्त रूप से निम्न अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाएगा –

- * प्रमुख सचिव (पदेन)
- * सचिवालय से नामित एक अन्य अधिकारी

(ख) भुगतान सीमा एवं निगरानी

केंद्रीय संचालन परिषद् द्वारा अधिसूचित सीमा से अधिक किसी भी लेन-देन के लिए आवश्यक होगा –

- * संबंधित परिषद की पूर्व स्वीकृति
- * त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन एवं लेखा-परीक्षण अभिलेख में अनिवार्य अंकन

अनुसूची (B)

पुरोहित प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण पर कार्यबल

[धारा 6(7) के संदर्भ में]

(1) संविधान

केंद्रीय संचालन परिषद द्वारा एक केंद्रीय पुरोहित प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण कार्यबल स्थापित किया जाएगा तथा प्रत्येक राज्य संचालन परिषद द्वारा संबंधित राज्य पुरोहित प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण कार्यबल गठित किया जाएगा, ताकि इस अधिनियम के उद्देश्यों का क्रियान्वयन समन्वित किन्तु परस्पर अप्रत्यवर्ती रूप में किया जा सके।

(2) केंद्रीय कार्यबल का अधिकार-क्षेत्र

केंद्रीय कार्यबल राष्ट्रीय स्तर के निम्नलिखित कार्यों हेतु उत्तरदायी होगा, जिनमें शामिल हैं परन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं –

(i) एक समान राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का विकास और निर्धारण, जिसमें सम्मिलित होंगे –

(a) वर्तमान पुरोहितों के लिए अल्पकालिक कौशल-वर्धन मॉड्यूल, तथा

(b) नए अभ्यर्थियों के लिए दीर्घकालिक आवासीय कार्यक्रम।

(ii) इस अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षित पुरोहितों के लिए एक मानकीकृत प्रमाणीकरण, परीक्षा, और पुनः-प्रमाणीकरण ढाँचे का निर्माण और प्रवर्तन।

(iii) एक मॉडल राष्ट्रीय पुरोहित प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, जो –

सभी राज्य-स्तरीय संस्थानों के लिए आदर्श प्रशिक्षण संस्था के रूप में कार्य करेगा, प्रशिक्षक-प्रशिक्षण सुविधा के रूप में कार्य करेगा, जिससे प्रमाणित प्रधान प्रशिक्षकों का निर्माण कर राज्य संस्थानों में नियुक्ति की जा सके, राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणन परीक्षाओं का आयोजन करेगा और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए समय-समय पर पुनः-प्रमाणीकरण की देखरेख करेगा।

(iv) इस अधिनियम की संलग्न अध्यात्माचार्य पाठ्यक्रम से संबंधित प्रासंगिक अंशों का समावेश करेगा, जिसमें विशेष बल सनातन धर्म के अनुष्ठानिक, संस्कारात्मक तथा

अनुष्ठान पक्षों पर रहेगा।

(v) राज्य-स्तरीय संस्थानों हेतु गुणवत्ता, नैतिकता और समावेशन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए मॉडल संचालन दिशानिर्देश जारी करेगा।

(3) राज्य कार्यबल का अधिकार-क्षेत्र

प्रत्येक राज्य संचालन परिषद् एक राज्य पुरोहित प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण कार्यबल गठित करेगी, जिसकी जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित होंगी –

(i) केंद्रीय कार्यबल द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और प्रमाणीकरण ढाँचे के अनुरूप राज्य-स्तरीय पुरोहित प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन।

(ii) जहाँ आवश्यक हो, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का स्थानीयकरण करते हुए क्षेत्रीय संप्रदायिक परंपराओं को सम्मिलित करना, बशर्ते वे राष्ट्रीय मानकों से असंगत न हों।

(iii) अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय कार्यबल से प्रमाणित प्रधान प्रशिक्षकों की उपलब्धता का समन्वय।

(iv) केंद्रीय कार्यबल के निर्देशों के अनुसार नामांकन, प्रशिक्षण सत्रों का संचालन और परीक्षाओं का प्रशासन।

(v) प्रमाणित पुरोहितों का राज्य-स्तरीय अभिलेख बनाए रखना तथा केंद्रीय संचालन परिषद् को समय-समय पर प्रतिवेदन भेजना।

(4) पाठ्यक्रम और गुणवत्ता मानक

पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि –

(i) इसमें सनातन धर्म के अनेक प्रमुख संप्रदायों के अनुष्ठान और क्रियाएँ सम्मिलित हों, जिससे आध्यात्मिक विविधता और अखिल-भारतीय प्रासंगिकता सुनिश्चित हो।

(ii) प्रशिक्षणार्थियों को निम्नलिखित आवश्यक दक्षताएँ प्राप्त हों –

- (a) नैतिक आचरण और व्यक्तिगत अनुशासन,
- (b) अनुष्ठान-संबंधित ग्रंथों में मौलिक शास्त्रीय साक्षरता,
- (c) प्रभावी धार्मिक नेतृत्व हेतु सार्वजनिक वक्तृत्व और पारस्परिक संवाद कौशल,
- (d) रोजगार-संबंधी परामर्श तथा आध्यात्मिक और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु परामर्श केंद्रों की भूमिका का ज्ञान।

(5) समन्वय और पर्यवेक्षण

केंद्रीय कार्यबल राज्य-स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों के लिए बाध्यकारी गुणवत्ता मानक और लेखा-परीक्षण प्रोटोकॉल जारी करेगा।

केंद्रीय संचालन परिषद को यह अधिकार होगा कि वह राज्य-स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा, लेखा-परीक्षण या आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप कर सके, यदि यह पाया जाए कि राष्ट्रीय मानकों से विचलन हुआ है।

केंद्रीय और राज्य कार्यबलों के बीच उत्पन्न सभी विवाद या मतभेद केंद्रीय संचालन परिषद को संदर्भित किए जाएंगे, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

अनुसूची C

अध्यात्माचार्य प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण पर कार्यबल [संदर्भ : धारा 6(7)]

1. गठन

केंद्रीय संचालन परिषद द्वारा एक केंद्रीय कार्यबल, जिसे “अध्यात्माचार्य प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण केंद्रीय कार्यबल” कहा जाएगा, गठित किया जाएगा।
प्रत्येक राज्य संचालन परिषद द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में “अध्यात्माचार्य प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण राज्य कार्यबल” गठित किया जाएगा।

दोनों स्तरों के कार्यबल समन्वित परंतु परस्पर अप्रतिच्छिन्न रूप से कार्य करेंगे, और इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन रहेंगे।

2. केंद्रीय कार्यबल का दायित्व

केंद्रीय कार्यबल, अध्यात्माचार्य प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रव्यापी मानक-निर्धारण और विनियामक निकाय के रूप में कार्य करेगा। इसके कार्य निम्नलिखित होंगे –

(क) पाठ्यक्रम निर्माण

* अध्यात्माचार्य प्रशिक्षण के लिए एक समग्र राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का प्रारूपण एवं उसका समय-समय पर पुनरीक्षण, इस अधिनियम की अनुसूची ‘एच’ से प्रेरणा लेते हुए किया जाएगा।

* यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पाठ्यक्रम में निम्न का समुचित समावेश हो –

- * शास्त्रीय साक्षरता (जैसे भगवद्गीता, उपनिषद्, धर्मशास्त्र आदि),
- * दर्शनशास्त्रीय परंपराएँ,
- * नैतिक, मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक परामर्श कौशल,
- * सामुदायिक नेतृत्व एवं नागरिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत।

(ख) प्रमाणीकरण मानक

* पालता, शिक्षण-पद्धति, मूल्यांकन तथा प्रमाणन के लिए समान मानक तैयार करना।

* इसके अंतर्गत निम्न व्यवस्थाएँ विकसित की जाएँगी –

* अनुभवी अभ्यर्थियों के लिए पार्श्व प्रवेश (lateral entry),

* पुनःप्रमाणीकरण तथा सतत शिक्षा,

* प्रशिक्षण परिणामों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु लेखा-परीक्षण व्यवस्था।

(ग) राष्ट्रीय प्रशिक्षण अवसंरचना

* एक “राष्ट्रीय अध्यात्माचार्य प्रशिक्षण केंद्र” की स्थापना एवं प्रबंधन किया जाएगा, जो –

* शिक्षण पद्धति और सुविधाओं में उत्कृष्टता का मानक स्थापित करेगा,

* प्रशिक्षक प्रशिक्षण (trainer-of-trainers) अकादमी के रूप में कार्य करेगा,

* तथा अंतर्धार्मिक संवाद, डिजिटल साक्षरता, सामुदायिक रूपांतरण, संवैधानिक कर्तव्य और आर्थिक उन्नयन जैसे विषयों में उच्च स्तरीय मॉड्यूल संचालित करेगा।

(घ) अंतर-कार्यबल समन्वय

* अन्य केंद्रीय कार्यबलों जैसे पुजारी प्रशिक्षण, गुरुकुल, परामर्श, तथा गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यबलों के साथ समन्वय स्थापित करना, ताकि शिक्षण, आचार एवं सिद्धांत में एकरूपता बनी रहे।

(ङ) विनियामक अधिकार

* राज्य स्तर पर जारी सभी प्रमाणपत्रों की समीक्षा और अनुमोदन करना।

* नए प्रशिक्षुओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणन परीक्षा आयोजित करना तथा पूर्व-प्रमाणित अध्यात्माचार्यों के लिए समय-समय पर पुनःप्रमाणीकरण करना, जिससे राष्ट्रीय मानकों का निरंतर पालन सुनिश्चित हो सके।

* अध्यात्माचार्यों हेतु एक “राष्ट्रीय पुस्तिका” प्रकाशित एवं अद्यतन करना, जिसमें –

- * प्रमुख सिद्धांत,
- * अध्ययन-प्रकरण (case studies),
- * आचार-संहिता,
- * तथा अध्यात्माचार्य के रूप में उनके आध्यात्मिक एवं सामाजिक दायित्वों का विवरण सम्मिलित हो।

3. राज्य कार्यबल का दायित्व

प्रत्येक राज्य कार्यबल अपने क्षेत्राधिकार में केंद्रीय कार्यबल की नीतियों के कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा। इसके प्रमुख कार्य निम्न होंगे –

(क) संस्थागत स्थापना

- * राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य स्तर पर अध्यात्माचार्य प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना एवं संचालन।
- * योग्य स्थानीय अध्यापकों एवं विशेषज्ञों के नामांकन हेतु केंद्रीय कार्यबल को अनुशंसा प्रस्तुत करना।
- * प्रमाणित अध्यात्माचार्यों की राज्य रजिस्टर का संधारण करना तथा इसे राष्ट्रीय डाटाबेस से जोड़ना।

(ख) स्थानीयकरण एवं क्रियान्वयन

- * राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का क्षेत्रीय भाषा एवं प्रचलनों के अनुसार अनुकूलन करना, बशर्ते इससे मूल सिद्धांतों में कोई परिवर्तन न हो।
- * परीक्षा एवं प्रमाणन में राष्ट्रीय मानकों का समान अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ग) प्रशिक्षण एवं निगरानी

- * प्रशिक्षण बैच, कार्यशालाएँ तथा सामुदायिक नियुक्तियाँ आयोजित करना।
- * केंद्रीय कार्यबल को समय-समय पर अनुपालन एवं परिणाम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

* पाठ्यक्रम सुधार एवं स्थानीय आवश्यकताओं हेतु प्रतिक्रिया-संग्रह प्रणाली विकसित करना।

4. प्रमाणन पर्यवेक्षण

राज्य संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए सभी प्रमाणपत्र –

- * केंद्रीय कार्यबल द्वारा समय-समय पर समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन या निरस्तीकरण के अधीन होंगे; तथा
- * राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्टर से जुड़े रहेंगे।

5. नियम निर्माण एवं पर्यवेक्षण

केंद्रीय संचालन परिषद् निम्न विषयों पर अतिरिक्त नियम बना सकती है –

- * कार्यबल की आंतरिक संरचना, कार्यकाल एवं चयन मापदंड निर्धारित करना;
- * वार्षिक लेखा-परीक्षण, प्रतिवेदन एवं शिकायत-निवारण तंत्र स्थापित करना;
- * केंद्रीय एवं राज्य प्रशिक्षण केंद्रों हेतु धन की स्वीकृति एवं संसाधनों का आबंटन करना, जहाँ उपयुक्त हो।

अनुसूची D

एकरूप पाठ्यक्रम सहित सनातन विद्यालयों की श्रृंखला
की स्थापना संबंधी कार्यबल
(संदर्भ : धारा 6(7))

1. कार्यबल का गठन

सनातन विद्यालयों के लिए दो-स्तरीय कार्यबल गठित किया जाएगा –

- * केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय संचालन परिषद द्वारा, तथा
- * राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य संचालन परिषद द्वारा, राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप।

केंद्रीय कार्यबल पाठ्यक्रम निर्माण, राष्ट्रीय मानक निर्धारण तथा अंतर-राज्यीय समन्वय हेतु सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा, जबकि राज्य-स्तरीय इकाइयाँ अपने अधिकार क्षेत्र में क्षेत्र-विशिष्ट क्रियान्वयन, प्रशासन तथा निगरानी का दायित्व निभाएंगी।

2. केंद्रीय कार्यबल के कार्य

केंद्रीय सनातन विद्यालय कार्यबल के कार्य निम्नलिखित होंगे –

(क) एकरूप राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा का निर्माण, जो अनुसूची 'एच' में उल्लिखित दिशा-निर्देशों पर आधारित होगी, तथा जिसमें निम्न का समावेश होगा –

- * भगवद्गीता, रामायण, वेद, उपनिषद् एवं पुराणों की शिक्षाएँ,
- * संस्कारों (संस्कार, कर्मकाण्ड) का परिचय,
- * नागरिक उत्तरदायित्व एवं धार्मिक नेतृत्व,
- * योग, ध्यान, भावनात्मक एवं नैतिक साक्षरता,
- * बहुभाषीय शिक्षा जिसमें संस्कृत, एक क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेज़ी तथा एक वैश्विक भाषा

(फ्रेंच, स्पैनिश, पुर्तगाली, जर्मन या रूसी में से कोई एक) सम्मिलित हो।

(ख) राष्ट्रीय सनातन विद्यालय शिक्षा घोषणापत्र का निर्माण, जिसमें यह बिंदु सम्मिलित होंगे –

- * जाति, लिंग या धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न होना,
- * आध्यात्मिक चिंतन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की संगति,
- * संवैधानिक मूल्यों का संवर्धन,
- * गैर-सनातन विद्यार्थियों की स्वैच्छिक भागीदारी तथा धार्मिक शिक्षा कक्षाओं से बाहर रहने (opt-out) का अधिकार।

(ग) एक आदर्श विद्यालय संरचना का निर्माण, जिसमें सम्मिलित होंगे –

- * विद्यालयों के प्रकार (शहरी, ग्रामीण, आवासीय / गुरुकुल),
- * शासन, वित्त, कार्मिक तथा अधोसंरचना के राष्ट्रीय मानक,
- * शिक्षकों की योग्यता एवं अध्यापक प्रशिक्षण के प्रमुख मॉड्यूल, जिनका समन्वय अध्यात्माचार्य कार्यबल के साथ किया जाएगा।

(घ) आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक दोनों घटकों हेतु सभी मूल पाठ्यपुस्तकों, ऑडियो-विजुअल सामग्री, डिजिटल शिक्षण साधन एवं मूल्यांकन प्रणालियों का निर्माण तथा अनुमोदन।

(ङ) चयनित क्षेत्रों में पायलट सनातन विद्यालयों की स्थापना एवं विस्तार हेतु प्रतिरूप मॉडल का निर्माण।

(च) विद्यालय संबद्धता, प्रमाणन एवं प्रभाव मूल्यांकन संबंधी राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण।

(छ) राज्य संचालन परिषदों को शैक्षणिक एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना, जिसमें सम्मिलित होंगे –

- * पाठ्यक्रम एवं अनुवाद प्रारूप,
- * आदर्श शिक्षण योजनाएँ,

* प्रशिक्षकों एवं मार्गदर्शकों का राष्ट्रीय समूह।

3. राज्य कार्यबल के कार्य

प्रत्येक राज्य कार्यबल अपने राज्य संचालन परिषद के निर्देशन में कार्य करेगा तथा निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन करेगा –

(क) अपने अधिकार क्षेत्र में केंद्रीय मानकों के अनुरूप विद्यालयों की स्थापना हेतु स्थानों की पहचान करना एवं सुविधा प्रदान करना।

(ख) केंद्रीय शासी परिषद के अनुमोदन के बाद एक राज्य सनातन विद्यालय बोर्ड की स्थापना करना, जो –

- * विद्यालयों की संबद्धता प्रदान करेगा,
- * राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन के पालन की निगरानी करेगा,
- * स्थानीय प्रशासन एवं शिकायत निवारण का संचालन करेगा।

(ग) केंद्रीय कार्यबल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं प्रारूपों के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्य-क्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद एवं स्थानीयकरण।

(घ) योग्य शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण एवं नियुक्ति, जिन्हें केंद्रीय कार्यबल द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रमाणित किया गया हो।

(ङ) जन-जागरण एवं समुदाय से संवाद कार्यक्रमों का आयोजन, जिससे अभिभावकों एवं हितधारकों में सनातन शिक्षा के उद्देश्यों तथा विविध पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के प्रति जागरूकता बढ़े।

(च) केंद्रीय कार्यबल को समय-समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, जिसमें निम्न विवरण सम्मिलित होंगे –

- * संबद्ध विद्यालयों की संख्या एवं प्रदर्शन,
- * पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन की स्थिति,
- * समावेशन (Inclusivity) के मापदंड,

* वित्तीय लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन ।

4. विवाद निवारण एवं वरीयता

यदि किसी राज्य एवं केंद्रीय कार्यबल के मध्य पाठ्यक्रम, प्रमाणन या संस्थागत संरचना को लेकर किसी प्रकार का विचलन, अस्पष्टता या विरोध उत्पन्न होता है, तो केंद्रीय संचालन परिषद् द्वारा जारी व्याख्या एवं निर्देश अंतिम एवं बाध्यकारी माने जाएँगे ।

5. समावेशन संबंधी उपबंध

सभी सनातन विद्यालय निम्न का पालन करेंगे –

(क) किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश में जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा ।

(ख) गैर-सनातन पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की स्वैच्छिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ।

(ग) किसी प्रकार का बलपूर्वक धार्मिक परिवर्तन या थोपना नहीं किया जाएगा ।

(घ) चयनित धार्मिक अनुष्ठानिक विषयों के लिए विद्यार्थियों को संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप opt-out (अध्ययन से बाहर रहने) का विकल्प प्रदान किया जाएगा ।

अनुसूची E

विरासत ग्रंथों के अनुवाद तथा प्रकाशन संबंधी कार्यबल

[संदर्भ : धारा 6(7)]

1. गठन

(क) विरासत ग्रंथों के अनुवाद एवं प्रकाशन हेतु केंद्रीय कार्यबल केंद्रीय संचालन परिषद द्वारा “विरासत ग्रंथों के अनुवाद एवं प्रकाशन हेतु केंद्रीय कार्यबल” गठित किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट सनातन विरासत ग्रंथों की पहचान, अनुवाद, संपादन तथा प्रकाशन (मुद्रित, डिजिटल या श्रव्य-दृश्य रूपों में) का एकमात्र अधिकृत प्राधिकारी होगा।

(ख) राज्य-स्तरीय परामर्श भूमिका

प्रत्येक राज्य संचालन परिषद, केंद्रीय कार्यबल की सहायता के सीमित उद्देश्य से, एक आंतरिक परामर्श समिति गठित कर सकती है, जो निम्न कार्य करेगी –

- * स्थानीय भाषाई अथवा उपभाषाई आवश्यकताओं पर औपचारिक अनुशंसाएँ प्रस्तुत करना,
- * योग्य विद्वानों, भाषाविदों अथवा धर्माचार्यों के नाम पैनल हेतु सुझाना,
- * सामाजिक संवेदनशीलताओं एवं प्रस्तुति शैली पर सुझाव देना।

यह उपबंध होगा कि कोई भी राज्य संचालन परिषद, केंद्रीय कार्यबल से लिखित पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना किसी भी विरासत ग्रंथ अथवा उसके रूपांतर का स्वतंत्र अनुवाद, संपादन, मुद्रण, प्रकाशन या प्रसार नहीं करेगी।

2. केंद्रीय कार्यबल का दायित्व एवं कार्य

केंद्रीय कार्यबल निम्नलिखित कार्यों हेतु विशेष रूप से उत्तरदायी होगा –

(क) सभी अनुवाद एवं प्रकाशन कार्यों के लिए एक समान संपादकीय एवं अनुवाद रूपरेखा विकसित करना, जिसमें सम्मिलित होंगे –

- * मूल ग्रंथ का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण ।
- * संदर्भ उद्धरण एवं सिद्धांतिक अखंडता के मानक ।
- * सहकर्म समीक्षा (peer review) तथा अनुमोदन प्रक्रिया ।

(ख) संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं, जनजातीय बोलियों तथा चयनित अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में उच्च-गुणवत्ता वाले अनुवाद तैयार करना, मुख्यतः ऐसे प्रमाणित तथा नेट-आधारित या अन्य अनुवाद उपकरणों के माध्यम से जो केंद्रीय कार्यबल द्वारा अनुमोदित हों। ऐसे सभी अनुवादों का तत्पश्चात् नामित विद्वानों, भाषाविदों और धर्माचार्यों द्वारा सत्यापन एवं शुद्धता-परीक्षण किया जाएगा। जिन स्थानीय भाषाओं, जनजातीय बोलियों या प्रसंगों में ऐसे अनुवाद अपर्याप्त या अनुपलब्ध हों, वहाँ केंद्रीय कार्यबल सीधे प्रमाणित मानवीय अनुवादकों और भाषाविदों से, जो केंद्रीय स्वीकृत सूची में सम्मिलित हों, अनुवाद का दायित्व सौंपेगा।

(ग) सनातन मूल्यों की सिद्धांतिक निष्ठा एवं संवैधानिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करना, जिसके अंतर्गत –

- * सनातन प्रतीकों की छवि को विकृत करने वाले किसी भी आरोपण या संदिग्ध अंश को हटाना,
- * अश्लील अथवा सार्वजनिक शालीनता के विपरीत सामग्री को निष्कासित करना,
- * जाति, वर्ग या लिंग के प्रति प्रत्यक्ष या परोक्ष अवमाननापूर्ण संदर्भों को हटाना,
- * किसी एक जाति या वर्ग का अन्य के प्रति अनुचित महिमामंडन रोकना,
- * सभी संपादकीय हस्तक्षेपों का अभिलेख एवं लिखित औचित्य रखना।

(घ) जहाँ किसी ग्रंथ में अंश विलोप किए जाएँ, वहाँ अंतिम प्रकाशन को “संक्षिप्त” (Sankshipt / Abridged) के रूप में चिह्नित किया जाएगा, जैसे वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामचरितमानस अथवा अन्य अधिसूचित ग्रंथों के संदर्भ में।

(ङ) सहकर्म समीक्षकों, विषय-विशेषज्ञों तथा धार्मिक प्राधिकृत व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए ऐसे उदारमतवादी एवं समकालीन संवैधानिक मूल्यों का आदर करने वाले विद्वानों से युक्त एक “राष्ट्रीय संपादकीय बोर्ड” का गठन और पर्यवेक्षण करना, जो प्रकाशित सामग्री की प्रमाणिकता, निष्पक्षता एवं गुणवत्ता का प्रमाणीकरण करेगा।

(च) सभी स्वीकृत कृतियों की अंतिम मास्टर प्रतियाँ तैयार करना, जिन्हें मुद्रण, ई-वितरण, ऑडियोबुक या अन्य सुलभ प्रारूपों में प्रकाशित किया जाएगा, तथा प्रत्येक स्वीकृत ग्रंथ को “राष्ट्रीय अनुवाद अभिलेख” (National Translation Registry) में दर्ज किया जाएगा, जिसमें योगदानकर्ताओं, भाषा संस्करणों एवं अनुमोदन स्थिति का विवरण रहेगा।

(छ) राज्य परामर्श समितियों द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रीय सुझावों अथवा रूपांतरण प्रस्तावों की समीक्षा एवं अनुमोदन, अंतिम प्रकाशन से पूर्व करना।

3. राज्य संचालन परिषदों की अनुमेय भूमिका

राज्य संचालन परिषदों की भूमिका केवल परामर्शात्मक एवं सहायक होगी, जिसके अंतर्गत –

(क) लिखित रूप में प्रस्तुत करना –

- * क्षेत्रीय भाषा एवं उपभाषा संबंधी आवश्यकताएँ,
- * समुदाय-विशिष्ट शास्त्रीय प्राथमिकताएँ।

(ख) योग्य विद्वानों, भाषाविदों एवं धर्माचार्यों के नाम केंद्रीय कार्यबल में नामांकन हेतु अनुशंसा करना।

(ग) निम्न विषयों पर संदर्भगत प्रतिक्रिया देना –

- * सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त पारिभाषिक शब्दावली,
- * टीका या व्याख्या में क्षेत्रीय संवेदनशीलताएँ।

(घ) केंद्रीय कार्यबल द्वारा स्वीकृत प्रकाशनों के वितरण में अपने राज्य क्षेत्र में सहयोग प्रदान करना, केंद्रीय दिशा-निर्देशों के अनुसार।

4. स्वतंत्र अनुवाद या प्रकाशन पर निषेध

किसी भी राज्य संचालन परिषद, संस्था या व्यक्ति द्वारा किसी भी विरासत ग्रंथ का,

आंशिक या पूर्ण रूप में, अनुवाद, संपादन, मुद्रण या प्रकाशन बिना केंद्रीय कार्यबल की पूर्व लिखित स्वीकृति, पर्यवेक्षण एवं प्रमाणीकरण के नहीं किया जाएगा। इस उपबंध का उल्लंघन इस अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए अधीनस्थ नियमों में विनिर्दिष्ट प्रशासनिक, अनुशासनात्मक या वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

अनुसूची F

विरासत ग्रंथों के वितरण एवं प्रसार संबंधी कार्यबल

[संदर्भ : धारा 6(7)]

1. कार्यबल का गठन

(क) विरासत ग्रंथ प्रसार हेतु केंद्रीय कार्यबल
केंद्रीय संचालन परिषद् “विरासत ग्रंथ प्रसार हेतु केंद्रीय कार्यबल” गठित करेगी, जिसे आगे “केंद्रीय प्रसार कार्यबल” कहा जाएगा। यह कार्यबल इस अधिनियम के अंतर्गत अनुमोदित विरासत ग्रंथों के राष्ट्रव्यापी और अंतरराष्ट्रीय प्रसार की योजना, नीतिनिर्धारण एवं पर्यवेक्षण का सर्वोच्च प्राधिकारी होगा।

(ख) राज्य स्तर पर विरासत ग्रंथ प्रसार कार्यबल
प्रत्येक राज्य संचालन परिषद् अपने अधिकार क्षेत्र में “राज्य विरासत ग्रंथ प्रसार कार्यबल” गठित करेगी, जो केंद्रीय प्रसार कार्यबल द्वारा जारी नीतिगत ढाँचे, दिशा-निर्देशों एवं मानक परिचालन प्रक्रियाओं (Standard Operating Procedures) के अनुरूप भौतिक एवं स्थानीय वितरण कार्यों का क्रियान्वयन करेगा।

2. कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का विभाजन

A. केंद्रीय प्रसार कार्यबल (CDTF)

केंद्रीय प्रसार कार्यबल के दायित्व निम्नलिखित होंगे –

* राष्ट्रीय रणनीति का निर्माण

राष्ट्रव्यापी प्रसार हेतु रणनीतियाँ, समय-सारिणी, लक्ष्य निर्धारण मापदंड एवं लॉजिस्टिक प्रोटोकॉल तैयार करना; यह कार्य राज्य कार्यबलों के परामर्श से तथा गृह-परिवार जनसंख्या आँकड़ों एवं क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाएगा।

* भंडार आवंटन एवं प्रेषण योजना

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हेतु वार्षिक वितरण कोटा निर्धारित करना तथा प्रमा-

णित मुद्रण विक्रेताओं या केंद्रीय गोदामों से निर्दिष्ट राज्य वितरण केंद्रों तक सामग्री प्रवाह का समन्वय करना।

* अनुगमन एवं पर्यवेक्षण संरचना

वास्तविक समय (real-time) में भंडार की गति, वितरण मील के पथर, प्रतिपुष्टि एवं समस्या समाधान की निगरानी हेतु एक केंद्रीकृत डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली का विकास एवं संचालन।

* साझेदारी प्रबंधन

भारत डाक विभाग, कूरियर सेवाओं, गोदाम एजेंसियों, डिजिटल प्लेटफॉर्मों एवं स्वैच्छिक संगठनों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर समझौते करना, ताकि अंतिम चरण (last mile) की डिलीवरी कुशलतापूर्वक हो सके।

* लेखा-परीक्षण एवं अनुपालन पर्यवेक्षण

समय-समय पर राज्य स्तर पर प्रदर्शन एवं अनुपालन की समीक्षा करना, लेखा-परीक्षण कराना तथा किसी विचलन की स्थिति में सुधार हेतु बाध्यकारी निर्देश जारी करना।

* केंद्रीय संचालन परिषद् को प्रतिवेदन एवं परामर्श

प्रगति, प्रभाव संकेतक, लॉजिस्टिक नवाचार एवं परिचालन चुनौतियों पर प्रत्येक छह माह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

B. राज्य प्रसार कार्यबल (SDTFs)

प्रत्येक राज्य कार्यबल अपने क्षेत्रीय वितरण के क्रियान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा। इसके प्रमुख दायित्व होंगे –

* भंडार प्राप्ति एवं प्रबंधन

निर्दिष्ट केंद्रीय मुद्रण केंद्रों अथवा गोदामों से प्राप्त भौतिक खेपों का सुरक्षित भंडारण, संचालन एवं जिला/खंड स्तर पर वितरण समय-सारिणी बनाना।

* स्थानीय वितरण क्रियान्वयन

राज्य-स्तरीय डाक मार्गों, स्थानीय कूरियर सेवाओं, प्रशिक्षित स्वयंसेवकों, पंचायत

एवं मंदिर-आधारित नेटवर्कों के माध्यम से विरासत ग्रंथों का वितरण सुनिश्चित करना; लक्षित परिवारों, शैक्षणिक संस्थानों, सामुदायिक केंद्रों एवं आध्यात्मिक स्थलों तक पहुंच बनाना।

* प्राथमिकता निर्धारण एवं कवरेज मानचित्रण

सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों, जनजातीय इलाकों अथवा नगरीय झुग्गी क्षेत्रों जैसे प्राथमिकता-क्षेत्रों की पहचान करना एवं वहां तीव्र प्रसार कार्यक्रम संचालित करना।

* तकनीकी अनुपालन एवं प्रतिवेदन

वितरण लॉग, प्राप्ति अभिलेख एवं लाभार्थी आँकड़े केंद्रीय ट्रैकिंग प्रणाली में निर्दिष्ट प्रारूप में अपलोड करना; मासिक प्रदर्शन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

* स्वयंसेवक प्रबंधन एवं जन-संपर्क

स्थानीय वितरण समन्वयक, स्वयंसेवक एवं मंदिर-आधारित सहयोगियों को सक्रिय करना तथा केंद्रीय संदेशों के अनुरूप जन-जागरण अभियान आयोजित करना।

* एस्केलेशन एवं समन्वय

किसी भी लॉजिस्टिक, वित्तीय या प्रशासनिक बाधा की स्थिति में, दस्तावेज़ी प्रमाण सहित विषय को केंद्रीय प्रसार कार्यबल के संज्ञान में लाना; केवल केंद्रीय कार्यबल द्वारा स्वीकृत समाधान ही लागू करना।

* अनधिकृत संशोधन या पुनर्मुद्रण पर निषेध

कोई भी राज्य कार्यबल विरासत ग्रंथों की सामग्री में संशोधन, पुनर्मुद्रण या स्थानीयकरण नहीं करेगा, न ही क्षेत्रीय संस्करण अथवा पुनर्प्रकाशन की अनुमति देगा, जब तक केंद्रीय प्रसार कार्यबल द्वारा लिखित रूप से अनुमति न दी जाए।

3. अंतर-सरकारी समन्वय एवं पर्यवेक्षण

* पर्यवेक्षण प्राधिकरण

सभी प्रसार गतिविधियाँ केंद्रीय प्रसार कार्यबल के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रहेंगी। यदि किसी भी क्षेत्राधिकार में विवाद, प्रक्रिया-विचलन या व्याख्या में मतभेद उत्पन्न होता है, तो केंद्रीय संचालन परिषद का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

* समन्वय तंत्र

निरंतर समन्वय हेतु निम्न व्यवस्था लागू की जाएगी –

* केंद्रीय एवं राज्य कार्यबलों के बीच साप्ताहिक वर्चुअल समीक्षा बैठकें।

* राज्य कार्यबलों द्वारा मासिक लिखित प्रदर्शन प्रतिवेदन।

* वर्ष में तीन बार राष्ट्रीय प्रसार सम्मेलन, जिसमें श्रेष्ठ प्रथाओं एवं नवाचारों का आदान-प्रदान किया जाएगा।

अनुसूची G
सनातन उद्देश्यों हेतु संपत्ति अधिग्रहण एवं पुनर्विकास
संबंधी कार्यबल
[संदर्भ : धारा 6(7)]

1. कार्यबल का गठन

(क) सनातन विकास हेतु संपत्ति अधिग्रहण संबंधी केंद्रीय कार्यबल केंद्रीय संचालन परिषद द्वारा “सनातन विकास हेतु संपत्ति अधिग्रहण संबंधी केंद्रीय कार्यबल” गठित किया जाएगा। यह कार्यबल निम्नलिखित के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय के रूप में कार्य करेगा –

- * अनुपयोगी या अल्प-उपयोगित सनातन धार्मिक एवं सामुदायिक संपत्तियों के अधिग्रहण एवं पुनःउपयोग हेतु रणनीतिक योजना एवं नीतिगत निर्माण;
- * राज्यों में समान रूप से लागू कानूनी, वित्तीय एवं प्रशासनिक ढाँचे की स्थापना;
- * अंतर-राज्यीय महत्व वाली संपत्तियों एवं परियोजनाओं का प्रबंधन।

(ख) राज्य स्तर पर सनातन विकास हेतु संपत्ति अधिग्रहण कार्यबल प्रत्येक राज्य शासी परिषद “राज्य संपत्ति अधिग्रहण कार्यबल” का गठन करेगी, जिसका मुख्य दायित्व होगा –

- * अपने अधिकार क्षेत्र में अनुपयोगी या अल्प-उपयोगित मंदिरों, धर्मशालाओं एवं संबद्ध संस्थाओं की पहचान, अधिग्रहण एवं प्रबंधन; तथा
- * राष्ट्रीय नीतिगत दिशा-निर्देशों एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्विकास का क्रियान्वयन।

2. संपत्ति अधिग्रहण के साधन

केंद्रीय एवं राज्य दोनों कार्यबलों को निम्न विधिक माध्यमों से अचल संपत्तियाँ, जैसे

मंदिर, धर्मशाला, आश्रम, भूमि या भवन, अधिग्रहित करने का अधिकार होगा –

- * निजी व्यक्तियों, परिवारों या न्यासों द्वारा स्वैच्छिक पंजीकृत उपहार-पत्र (Registered Gift Deed);
- * न्यूनतम 50 वर्षों की पंजीकृत दीर्घकालिक लीज़, जिसे पारस्परिक सहमति से नवीनीकृत किया जा सके;
- * प्रचलित भू-अधिनियमों एवं स्टाम्प पंजीकरण मानकों के अनुरूप उचित बाज़ार मूल्य अथवा उससे कम पर सीधा क्रय;
- * सरकार अथवा अर्द्ध-सरकारी निकायों से वैधानिक अनुमति एवं लोकहित कारणों के आधार पर विधिसम्मत हस्तांतरण या सुपुर्दगी।

3. दायित्व एवं उत्तरदायित्व

A. केंद्रीय कार्यबल के दायित्व

केंद्रीय कार्यबल निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन करेगा –

- * पालता मानदंड, सावधानी प्रक्रिया (Due Diligence Protocols) एवं पुनर्विकास प्राथमिकताओं सहित “राष्ट्रीय संपत्ति अधिग्रहण एवं पुनर्विकास रूपरेखा” तैयार करना एवं जारी करना।
- * उच्च मूल्य या राष्ट्रीय महत्त्व वाली संपत्तियों के अधिग्रहण प्रस्तावों की समीक्षा एवं अनुमोदन।
- * अधिसूचित वित्तीय सीमा से अधिक अधिग्रहणों के लिए निधियों का आवंटन, बजट स्वीकृति एवं वित्तीय नियंत्रण बनाए रखना।
- * अन्य कार्यबलों – विशेषतः प्रशिक्षण एवं प्रमाणन, सनातन विद्यालय, तथा आध्यात्मिक अवसंरचना कार्यबल – के साथ समन्वय स्थापित करना ताकि पुनर्विकास योजनाएँ एकीकृत रूप से लागू की जा सकें।
- * “राष्ट्रीय सनातन संपत्ति अभिलेख” (National Sanatan Property Registry) का संधारण एवं अद्यतन करना, जिसमें अधिग्रहित संपत्तियों की स्थिति, स्वामित्व एवं उपयोग विवरण अंकित हो।
- * संरचनात्मक पुनर्निर्माण, विरासत संरक्षण एवं उपयोग के नये मॉडल (Adaptive Re-use Models) हेतु तकनीकी दिशानिर्देश जारी करना।

B. राज्य कार्यबल के दायित्व

राज्य कार्यबल निम्नलिखित कार्य करेंगे –

- * अनुपयोगी अथवा जीर्ण अवस्था वाले मंदिरों, धर्मशालाओं, आश्रमों एवं अन्य सनातन संस्थाओं का सर्वेक्षण एवं सूचीकरण।
- * स्थानीय संरक्षकों, न्यासों एवं सामुदायिक निकायों के साथ संवाद स्थापित कर स्वैच्छिक हस्तांतरण या सहकारी पुनर्विकास हेतु सहमति बनाना।
- * अधिग्रहण से पूर्व विधिक सावधानी (Legal Due Diligence) करना, जिसमें शीर्षक सत्यापन, भार (Encumbrance) परीक्षण एवं विवाद मूल्यांकन सम्मिलित होगा।
- * विशेषतः बड़े अथवा संवेदनशील अधिग्रहणों के लिए केंद्रीय स्वीकृति एवं वित्तीय सहयोग हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
- * पुनर्विकास क्रियान्वयन, जिसमें मरम्मत, पुनर्निर्माण, कार्मिक नियुक्ति एवं लोकहित में पुनःप्रयोग सम्मिलित होगा, जैसे –

- * अध्यात्माचार्य एवं पुजारी प्रशिक्षण केंद्र,
- * सनातन विद्यालय,
- * आध्यात्मिक विश्राम केंद्र या गुरुकुल,
- * सामुदायिक आजीविका केंद्र।
- * प्रत्येक पुनर्स्थापित मंदिर अथवा संस्था में कम से कम एक प्रमाणित अध्यात्माचार्य या प्रशिक्षित पुरोहित/आध्यात्मिक शिक्षक की नियुक्ति सुनिश्चित करना।
- * पंचायतों, मंदिर समितियों एवं धार्मिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर सामुदायिक एकीकरण एवं सतत उपयोग सुनिश्चित करना।

4. अनुपालन, पर्यवेक्षण एवं संपत्ति संरक्षण

- * सभी अधिग्रहित संपत्तियाँ “सनातन सेवा निधि” अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत विधिवत अधिसूचित किसी निकाय के नाम पर पंजीकृत की जाएँगी।
- * प्रत्येक राज्य कार्यबल द्वारा केंद्रीय कार्यबल को मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जो केंद्रीय संचालन परिषद् द्वारा निर्दिष्ट रूप में होगा।
- * अधिग्रहण, विधिक स्थिति एवं पुनर्विकास की प्रगति का वास्तविक समय में अनुगमन करने हेतु एक केंद्रीय मॉनिटरिंग डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा।

- * किसी भी अधिग्रहित संपत्ति का पुनःप्रयोग, हस्तांतरण या परित्याग केंद्रीय कार्य-बल की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।
- * विवाद समाधान, प्रदर्शन लेखा-परीक्षण एवं नीतिगत सुधार हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थायी समीक्षा समिति गठित की जा सकती है।

अनुसूची (H) अध्यात्माचार्यों (Spiritual Teachers) के लिए पाठ्यक्रम

प्रस्तावना

उद्देश्य –

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य ऐसे प्रबुद्ध अध्यात्माचार्यों का निर्माण करना है जो लगभग पंद्रह वर्षों की आवासीय शिक्षा प्राप्त करेंगे। वे सनातनी समाज के सभी वर्गों को धर्म और अध्यात्म का ज्ञान तथा प्रेरणा देने में सक्षम होंगे, सनातन धर्म की विविधता और समृद्धि को गहराई से समझ सकेंगे, और उसकी दार्शनिक दृष्टि को तर्कसंगत और आकर्षक रूप से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत कर सकेंगे।

समग्र दृष्टि –

प्रशिक्षणार्थी इस योग्य बनेंगे कि वे शिक्षित विदेशियों तथा अन्य धर्मों के अनुयायियों के समक्ष अपने धर्म की सौंदर्य, एकता और सत्यनिष्ठा को प्रस्तुत कर सकें, तथा समाज में सांस्कृतिक जागरण के नेतृत्वकर्ता बन सकें।

संशोधन का प्रावधान –

यह पाठ्यक्रम अंतिम नहीं माना जाएगा। केंद्रीय संचालन परिषद् समय-समय पर योग्य विद्वानों के माध्यम से इसमें सुधार और विस्तार कर सकेगी, बशर्ते इसकी मूल भावना और इसमें उल्लिखित किसी विषय को हटाया न जाए।

धर्म के दो प्रमुख स्तंभ –

- (1) प्रत्येक परिवार में धर्मग्रंथों की उपलब्धता और उनका अध्ययन।
- (2) पर्याप्त संख्या में ऐसे धर्माचार्यों की उपलब्धता जो गहन शास्त्रीय ज्ञान रखते हों तथा अनुशासन और समर्पण से समाज को प्रेरित कर सकें और धर्म से जोड़ कर रखें।

आदर्श अध्यात्माचार्य पाठ्यक्रम – एक मिशन

A. व्यक्तित्व और सद्गुण

धर्म-सेवा की भावना –

स्वयं को ईश्वरीय सनातन धर्म का प्रतिनिधि मानना और उसके उच्चतम सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार में जीवन समर्पित करना।

भारत माता के प्रति भक्ति –

राष्ट्र और उसकी आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करना तथा उसकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा की रक्षा करना।

करुणा और विनम्रता –

सभी प्राणियों के प्रति संवेदनशील रहना तथा अहंकार-रहित, सरल और गरिमामय आचरण रखना।

वैराग्य –

यश, धन और भोग की लालसा से दूर रहना; उत्साह और धैर्यपूर्वक कार्य करना, परंतु फल-आसक्ति से मुक्त रहना।

उदारता और क्षमाशीलता –

दूसरों की त्रुटियों को क्षमा करना तथा अपने समय, ज्ञान और संसाधनों का उपयोग समाज-कल्याण के लिए करना।

सहिष्णुता –

विभिन्न विचारों और संप्रदायों का सम्मान करना और असहमति की स्थिति में भी सभ्य व्यवहार बनाए रखना।

साहस और दृढ़ता –

सनातन धर्म पर होने वाले आक्रमणों के प्रति सतर्क रहना और समाज को विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया हेतु तैयार करना।

B. दैनिक अनुशासन

प्रातः साधना –

सूर्योदय से पूर्व ध्यान, जप, प्रार्थना, योग या प्राणायाम का अभ्यास करना ।

स्वाध्याय –

भगवद्गीता, वेद, उपनिषद्, पुराण और संत-साहित्य का दैनिक अध्ययन एवं मनन करना ।

सेवा और राष्ट्रीय कल्याण –

प्रतिदिन सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य शिविरों, तथा राष्ट्र और सनातन धर्म के संरक्षण एवं उन्नयन से संबंधित गतिविधियों में भाग लेना ।

जीवन-यापन और परिवार –

गृहस्थ अध्यात्माचार्य परिवारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए मिशन के प्रति समर्पित रहें; संन्यासी अध्यात्माचार्य पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए समाज-सेवा में संलग्न रहें ।

आत्म-चिंतन –

प्रत्येक दिन के अंत में आत्म-परीक्षण करें, डायरी लिखें और आत्म-सुधार का संकल्प लें ।

C. नैतिक आचरण और निषेध

मदिरा और नशा-मुक्ति –

शराब, तंबाकू और सभी मादक पदार्थों से पूर्ण विरत रहना ।

सात्त्विक आहार –

मांस, मछली का त्याग करना तथा शाकाहार का पालन करना ।

ब्रह्मचर्य –

संन्यासियों के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य और गृहस्थों के लिए संयमित वैवाहिक जीवन ।

शालीनता और मर्यादा –

अनुचित आचरण, छल, हिंसा, अपमानजनक या दुर्भावनापूर्ण वाणी से दूर रहना; शिष्यों और भक्तों के प्रति पारदर्शिता रखना।

D. संकल्प और मिशन

सनातन धर्म का उन्नयन –

आचरण, शिक्षण और सेवा के माध्यम से सनातन धर्म की वैज्ञानिक और मानवीय छवि को उजागर करना।

संरक्षण और संवर्धन –

शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से भारतीय संस्कृति के क्षरण को रोकना; अन्य धर्मों के प्रति द्वेष रखे बिना अपने मूल्यों को दृढ़ता से प्रस्तुत करना; तथा अन्य मतों के अनुयायियों द्वारा किए जाने वाले मतांतरण प्रयासों का विवेकपूर्ण प्रतिकार करना।

सेवा और साधना द्वारा मुक्ति –

“सर्वभूतहिते रताः” की भावना से समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु कार्य करना, जिससे आत्मिक प्रगति हो और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो।

Part I – सनातन धर्म के शास्त्र

1.1 भूमिका

उद्देश्य –

शास्त्रीय परंपरा की संगठित और व्यवस्थित समझ प्रदान करना, तथा प्रमुख ग्रंथों, दार्शनिक प्रणालियों और भक्तिपरक साहित्य में दक्षता विकसित करना।

मुख्य ग्रंथ –

भगवद्गीता, रामायण, चारों वेद, उपनिषद् और ब्रह्मसूत्र।

स्मृतियाँ और धर्मशास्त्र –

मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, धर्मसूत्र और गृह्यसूत्र।

पुराण साहित्य –

भागवत, शिव, देवी, विष्णु, नारद, स्कंद, पद्म तथा अन्य पुराण ।

आगम –

मंदिर वास्तुकला, देव-प्रतिष्ठा (मूर्ति-स्थापना)

रामकथा परंपरा –

वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कम्ब रामायण, कृतिवास रामायण और अध्यात्म रामायण ।

योग, भक्ति और नीति संबंधी ग्रंथ –

योगसूत्र, नारद और शाण्डिल्य भक्ति-सूत्र, योगवशिष्ठ, विवेकचूडामणि, हितोपदेश, नीति-शतक और अन्य ।

अन्य ग्रंथ –

समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले अतिरिक्त ग्रंथों का चयनात्मक अध्य-
यन ।

1.2 चिंतन-बिंदु

शास्त्रों की सीमाएँ –

श्रुति और स्मृति का वर्गीकरण; मूल ग्रंथों की संकल्पना; अपौरुषेयत्व और प्रमाणिक-
ता के सिद्धांत ।

इस्लामी शासन के दौरान शालों में जानबूझ का की गई मिलावट ।

विरोध और विरोधाभास –

विभिन्न ग्रंथों के बीच या किसी एक ग्रंथ के भीतर प्रकट विरोधों का समाधान; प्राथमि-
कता के सिद्धांत; आरोपित या संदेहास्पद अंशों की पहचान ।

शास्त्रों की भाषा और परिवर्तनशीलता –

संस्कृत और देशज भाषाओं के बीच अंतर; शाश्वत और परिवर्तनीय विधानों की

भिन्नता ।

शास्त्रीय ग्रंथों की प्रासंगिकता –

यह आकलन कि कौन से ग्रंथ प्रत्येक गृह में रखने योग्य हैं; विभिन्न ग्रंथों के तुलनात्मक गुण और सीमाएँ ।

Part II – सनातन धर्म की प्रमुख धाराएँ

वैदिक धारा –

अग्नि-यज्ञ पर केंद्रित; चारों वेदों, ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों पर आधारित; यज्ञ (बलिदान), ऋचा (स्तोत्र), देव-आवाहन और ऋत (सार्वभौमिक व्यवस्था) के पालन पर विशेष बल ।

पुराणिक धारा –

अठारह पुराणों पर आधारित; मूर्ति-पूजा, व्रत-कथा, तीर्थ-यात्रा और अवतारवाद से युक्त; लोक-धर्म (जन-आस्था) से घनिष्ठ रूप से संबद्ध ।

आगमिक धारा –

शैव, शाक्त और वैष्णव आगमों को सम्मिलित करने वाली; मंदिर-निर्माण, देव-प्रतिष्ठा (मूर्ति-स्थापना), दीक्षा-विधि और मंत्र, यंत्र तथा तंत्र की साधना पर बल; रहस्यात्मक आध्यात्मिक साधना पर केंद्रित ।

भागवत धारा –

भागवत पुराण पर आधारित; प्रेम-भक्ति को परम साधन के रूप में स्थापित करने वाली; भगवान् श्रीकृष्ण और उनकी दिव्य लीलाओं पर केंद्रित ।

भगवद्-धर्म –

भगवद्गीता पर आधारित; कर्म (कर्मयोग), ज्ञान (ज्ञानयोग) और भक्ति (भक्तियोग) का समन्वय करने वाला; जाति और वर्ण-भेद से परे सार्वभौमिक धर्म का प्रतिपादक ।

Part III – प्रमुख सम्प्रदाय

सूची –

वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत्य, सौर, स्मार्त, आर्य समाज, प्रकृति-उपासक और अन्य ।

3.1 चर्चा –

विभिन्न सम्प्रदायों के अनुयायियों की अनुमानित संख्या और उनका क्षेत्रीय वितरण; बहु-देव-उपासक वर्गों का वर्गीकरण । जहाँ बहु-देव-उपासना प्रमुख है, वहाँ सम्प्रदाय-वार आँकड़ों की सांख्यिकीय विश्वसनीयता का समालोचनात्मक परीक्षण और उसकी सार्थकता पर चिंतन ।

Part IV – दार्शनिक पक्ष

4.1 षड्दर्शन –

छह परंपरागत दर्शन-प्रणालियों – न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा (वेदान्त) – का संक्षिप्त अध्ययन, जिसमें उनके मुख्य सिद्धांतों और आधारग्रंथों की समझ विकसित की जाएगी ।

4.2 वेदान्त के प्रमुख पंथ –

वेदान्त दर्शन की प्रमुख शाखाओं का सारांशात्मक निरूपण – अद्वैत (अभेदवाद), विशिष्टाद्वैत (सविशेष अभेदवाद), द्वैत (भेदवाद), शुद्धाद्वैत (शुद्ध अभेदवाद), द्वैताद्वैत (भेद-अभेद सिद्धांत) और अचिन्त्य भेदाभेद (अकल्पनीय भेद-अभेद सिद्धांत) ।

4.3 हिंदू बहुदेववाद के संबंध में पश्चिमी विचारकों की विभिन्न व्याख्याओं की समीक्षात्मक चर्चा, तथा हिंदू दर्शन में निहित “एकेश्वरवादी बहुदेववाद” की उस अवधारणा का विवेचन, जिसके अनुसार एक परम सत्य अनेक देव रूपों में अभिव्यक्त होता है । अथवा यह एकत्ववाद है, या एकत्ववादी एकेश्वरवाद ?

Part V – भगवद्गीता के मूल सिद्धांत

अध्ययन में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित होंगे –

विश्वव्यापक लोकप्रियता –

भगवद्गीता की सार्वभौमिक स्वीकार्यता के कारणों का अध्ययन । इसमें किसी अमानवीय या अपमानजनक घोषणा का अभाव । योग, कर्म, भक्ति, ज्ञान और समत्व का सरल किन्तु व्यापक प्रतिपादन । इसका दृष्टिकोण समानता पर आधारित, जो

स्त्री-पुरुष समानता, सामाजिक और जातीय समता तथा सभी के प्रति सद्भावना को समाहित करता है। यह ईश्वर तक पहुँचने के अनेक मार्ग स्वीकार्य। इसमें परमात्मा स्वयं प्रथम पुरुष में कहते हैं – “मैं ईश्वर हूँ।”

समत्व और समानता –

वैदिक और पौराणिक काल की जाति-आधारित असमानताओं से भिन्न, भगवद्गीता द्वारा सभी प्राणियों को ईश्वर के अंशरूप मानना। प्रत्येक जीव में परमात्मा की झलक।

यज्ञ और तप की पुनर्परिभाषा –

मन, वाणी और शरीर पर संयम द्वारा आंतरिक शुद्धि को ही सच्चा यज्ञ और तप कहा जाना। अहिंसा को दैवी गुण कहते हुए भी घोर अन्याय के विरुद्ध न्यायात्मक हिंसा और अहिंसा के बीच संतुलन। अग्नि-यज्ञ और बाह्य अनुष्ठानों की अपेक्षा ज्ञान-यज्ञ (ज्ञान की प्राप्ति और प्रसार) और जीवन को ईश्वर-यज्ञ के रूप में जीने पर अधिक बल।

स्त्रियों की समानता –

भगवद्गीता में स्त्री और पुरुष की आध्यात्मिक समानता का प्रतिपादन। इस दृष्टिकोण की तुलना वैदिक, पौराणिक और ऐतिहासिक परंपराओं से, जहाँ स्त्री के स्थान को अनेक बार गौण किया गया।

निर्गुण और सगुण मोक्ष –

मोक्ष के दो प्रमुख स्वरूप बताए गए हैं – (क) निर्गुण मोक्ष या ब्रह्म-निर्वाण, जिसमें व्यक्तिगत अस्तित्व का लय हो जाता है; और (ख) सगुण मोक्ष, जिसमें व्यक्ति अपना अस्तित्व बनाए रखते हुए ईश्वर के परम धाम में शाश्वत आनंद का अनुभव करता है।

मोक्ष के प्रमुख योग-मार्ग –

मोक्ष की प्राप्ति हेतु विभिन्न योग-मार्ग, जिनमें प्रमुख हैं – ज्ञान-योग (ज्ञान का मार्ग), ध्यान-योग (मनन का मार्ग), कर्म-योग (निष्काम कर्म का मार्ग), भक्ति-योग (भक्ति का मार्ग), जप-योग (नाम-स्मरण का मार्ग), ईश्वर-ध्यानाश्रित देह-त्याग योग (ईश्वर-स्मरण के साथ शरीर त्याग का योग), परोपकार योग (निष्काम सेवा का मार्ग), शरणागति योग (पूर्ण समर्पण का मार्ग) और गीता-ज्ञान-प्रसार योग (गीता के ज्ञान के प्रचार का मार्ग)।

धर्म की अवधारणा –

भगवद्गीता का धर्म-तत्त्व व्यक्ति के स्वधर्म (अपने कर्तव्य), लोक-संग्रह (सामाजिक कल्याण), वैराग्य, समत्व और सर्वजन-हित की समविवृति। सच्चा धर्म अपने कर्तव्य का पालन करते हुए समाज के कल्याण और आत्मिक शांति की दिशा में अग्रसरता।

5.1 चिंतन-बिंदु

भगवद्गीता द्वारा पारम्परिक हिन्दू धर्म की कुछ मूल मान्यताओं का अस्वीकार — जैसे जन्म-आधारित वर्ण-व्यवस्था, वेद-पुराणों में वर्णित आत्म-पीड़न-प्रधान तप तथा यज्ञ की संकल्पना, अग्नि-यज्ञों को गौण बना देना तथा तन्त्र-पंथ की पूर्ण उपेक्षा; भगवान् ब्रह्मा के जिन विचारों का उल्लेख गीता (अध्याय 3, श्लोक 10 की दूसरी पंक्ति से लेकर श्लोक 15 तक) में हुआ है, उन्हें भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा आगे आने वाले श्लोकों में अप्रत्यक्ष रूप से निरस्त कर देना; और यह तथ्य कि श्रीकृष्ण ने सम्पूर्ण गीता में कहीं भी “जाति” शब्द का प्रयोग नहीं किया, यद्यपि अर्जुन ने प्रथम अध्याय में “जाति” का उल्लेख किया था और भगवान् ने केवल “वर्ण” की ही चर्चा की — ये सभी बातें कई गंभीर प्रश्न उठाती हैं।

क्या गीता के सभी सात सौ श्लोकों को “ईश्वर वचन” माना जाए, या केवल वे श्लोक जिन्हें स्वयं श्रीकृष्ण ने कहा था?

श्लोक 9.32 में प्रयुक्त शब्द “पापयोनयः” का वास्तविक तात्पर्य क्या है?

और क्या यह कहना उचित है कि गोपाल-नन्दन श्रीकृष्ण ने उपनिषदों को “दूध” की भाँति दोहकर, उस “दूध” को एकत्र किया जो गीता के रूप में प्रकट हुआ?

Part VI – वेद

(a) परिचय और संरचना –

चारों वेदों (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद) का परिचय, उनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भाषा, और रचना-काल का उल्लेख। उनके आंतरिक विभाजन – संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् खंड – का संक्षिप्त वर्णन।

(b) वेदाङ्ग —

वेदों के छह अंग: शिक्षा (उच्चारण-शास्त्र), कल्प (श्रौत-स्मार्त अनुष्ठान-विधि),

व्याकरण (भाषा-विन्यास-शास्त्र), निरुक्त (शब्दार्थ-व्युत्पत्ति), छन्द (छन्दशास्त्र), ज्योतिष (कालगणना तथा नक्षत्र-विज्ञान) ।

(c) मुख्य सूक्त और सांस्कृतिक-आध्यात्मिक पक्ष –

वेदों में निहित प्रमुख स्तोत्रों का अध्ययन और उनके सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक आयामों का विवेचन ।

(d) हवियज्ञ, सोमयज्ञ और पाकयज्ञ –

इन यज्ञों के प्रकार, उद्देश्य और उनके सामाजिक व धार्मिक महत्व का अध्ययन ।

6.1 चिंतन-बिंदु

यज्ञों में हिंसा (बलि) का नैतिक पक्ष क्या है?

यदि वेदों में बलि का समर्थन नहीं है, तो फिर अन्य प्राचीन शास्त्रों में वेदों के नाम पर पशुबलि के उल्लेख क्यों मिलते हैं?

उपनिषदों को वेदों का ‘ज्ञान-काण्ड’ क्यों कहा गया?

क्या इसका अर्थ यह है कि वेदों में स्वयं आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है?

ऐसा क्यों कहा जाता है कि वैदिक कर्मकाण्ड की विधियाँ वेदों में नहीं, बल्कि ब्राह्मण-ग्रन्थों में विकसित हुईं?

यदि ऐसा है, तो वैदिक कर्मकाण्ड में स्वयं वेदों का क्या योगदान रहा?

यह धारणा क्यों प्रचलित है कि “वेदों में जो कुछ निकृष्ट है वह ब्राह्मण-ग्रन्थों में है, और जो कुछ उत्कृष्ट है वह उपनिषदों में”?

भगवद्गीता में केवल तीन वेदों का ही उल्लेख क्यों मिलता है?

क्या कारण है कि अथर्ववेद का नाम नहीं आता?

मनु (मनुस्मृति) को वेदों के जीवन दर्शन का प्रामाणिक प्रवक्ता क्यों कहा जाता है?

वेदों का इतना महत्त्व क्यों माना गया है?

और भगवद्गीता की उनके प्रति दृष्टि क्या है?

Part VII – उपनिषद्

परिचय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि –

मुख्य उपनिषदों की सूची, गुरु-शिष्य संवाद की शैली, प्रमुख शिक्षाएँ और महावाक्य

(महान वचन), तथा इनकी आधुनिक युग में प्रासंगिकता।

उपनिषदों का रचनाकाल सौर पूर्ण संख्या; "अल्लाह उपनिषद" आदि पर चर्चा।

7.1 चिंतन-बिंदु

1. साधना-सिद्धान्त (आध्यात्मिक अभ्यास की पद्धति) का उपनिषदों में कहाँ और किस रूप में प्रतिपादन है?
2. उपनिषदों के अनुसार आत्मा का परम गंतव्य क्या है—स्वर्ग या मुक्ति? स्वर्ग और मोक्ष का उल्लेख कितनी बार और किन प्रसंगों में हुआ है?
3. क्या प्रमुख उपनिषदों में जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त कराने वाले निर्वाण/मोक्ष की अवधारणा स्पष्ट रूप से विद्यमान है? यदि हाँ, तो किन स्थलों पर?
4. प्रमुख उपनिषदों में मोक्ष के मार्ग—जैसे ज्ञान-योग, ध्यान-योग, कर्म-योग, भक्ति-योग, जप-योग, ईश्वर-ध्यानाश्रित देह-त्याग-योग, परोपकार-योग, शरणा-गति-योग और गीता-ज्ञान-प्रसार-योग—में से कौन-कौन से मार्ग उल्लिखित हैं और कौन-कौन से अनुपस्थित हैं?
5. प्रामाणिक एकादश उपनिषदों में किन-किन उपनिषदों का समावेश माना जाता है—इस विवाद पर विमर्श।

Part VIII – पुराण

परिभाषा और संख्या –

महापुराण और उपपुराणों का वर्गीकरण; उनके प्रमुख आख्यान और उपदेश; विषय-गत वर्गीकरण; सांस्कृतिक महत्त्व; तुलनात्मक दृष्टिकोण और प्रेरणादायक प्रसंगों का विश्लेषण।

8.1 चिंतन-बिंदु

कौन से पुराण किस विशेष देवता को सर्वोच्चता प्रदान करते हैं।

अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति।

वेदों और पुराणों के पारस्परिक संबंध।

पुराणिक धारा के उदय के पश्चात् शुद्ध वैदिक परंपरा की स्थिति।

विभिन्न पुराणों के आपसी मतभेद और विरोधाभास।

“इतिहास” और “पुराणकथा” (mythology) की संकल्पनाएँ — क्या “माइथो-लॉजी” शब्द का अर्थ “काल्पनिक” होता है?

क्या पुराणों को “सूक्ष्म जगत का इतिहास” कहा जा सकता है?

“इतिहास” (रामायण और महाभारत) तथा पुराणों के बीच संबंध।

पुराणों और भगवद्गीता का पारस्परिक संबंध।

Part IX – इतिहास और महाकाव्य

इतिहास-लेखन के प्राचीन रूप और काव्य-शैली का अध्ययन;

रामायण परंपरायें –

रामकथा पर आधारित विभिन्न ग्रंथों में विषय-वस्तु और शैली के भेदों का विश्लेषण।

महाभारत –

धर्म और अधर्म, युद्ध और कर्तव्य, चरित्र और नेतृत्व-नीति से संबंधित प्रश्नों का विवेचन; तथा इसे “पाँचवाँ वेद” माने जाने के कारणों का अध्ययन।

Part X – आगम

परिभाषा, शाखाएँ और संरचना –

आगम शास्त्रों की परिभाषा, उनकी प्रमुख शाखाएँ और संरचना; मंदिर वास्तु और पूजा-विधियों का विवरण; उनके दार्शनिक और सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन।

प्रतिनिधि ग्रंथ –

शैव आगम (जैसे कामिक, योगज), वैष्णव आगम (जैसे पाञ्चरात्र, लक्ष्मी-नारदीय) और शाक्त आगम (जैसे श्री-तंत्र, काली-तंत्र)।

सामंजस्य –

आगम और तंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा सिद्धांतगत आधार; मंदिर-अनुष्ठानों से अंतर्मन-ध्यान की ओर संक्रमण; प्रमुख ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन।

10.1 चिंतन-बिंदु

आगमों की लोकप्रियता में आई कमी के क्या कारण रहे, और उन्हें मुख्यधारा के हिन्दू परंपरा में गौण या उपेक्षित क्यों कर दिया गया?

Part XI – हिन्दू संस्कार और अनुष्ठान

संस्कार –

गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि तक के सोलह संस्कारों का संक्षिप्त विवरण।

देव-पूजन अनुष्ठान –

मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा विधान, पंचोपचार और षोडशोपचार पूजा-विधि, आरती, संध्या-वंदन, अभिषेक, तुलसी-पूजा तथा व्रतों के पालन की विधि।

गृहस्थ और सामाजिक अनुष्ठान –

गृह-प्रवेश, वास्तु-शांति, तीर्थ-स्नान, रथ-यात्रा, वृक्षारोपण, सत्यनारायण कथा, उपनयन-पुनः-संस्कार, भजन-कीर्तन और सामूहिक धार्मिक आयोजन।

प्रमुख व्रत और पर्व –

सोमवार व्रत, प्रदोष, संकष्टी-चतुर्थी, एकादशी, नवरात्रि, करवाचौथ, छठ पूजा, वट-सावित्री, हरितालिका तीज, जन्माष्टमी, राम नवमी और महाशिवरात्रि।

11.1 चिंतन-बिंदु

Part XII – दीक्षा-विधान

दीक्षा की अवधारणा और प्रकार –

वेदिक दीक्षा, तांत्रिक दीक्षाएँ (चाक्षुषी, स्पर्श, वाचिक, मानसिक आदि), शाक्त दीक्षाएँ (क्रियावती, वर्णमयी आदि), तथा पुराणिक और भक्तिपरंपरा की दीक्षाएँ

(वैष्णव, राम-कृष्ण, शैव-शाक्त)।

इन सबका तुलनात्मक अध्ययन और आधुनिक संदर्भ में उनका महत्व।

12.1 चिंतन-बिंदु

क्या दीक्षा आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनिवार्य है?

क्या कोई व्यक्ति बिना औपचारिक दीक्षा प्राप्त किए ईश्वर-साक्षात्कार नहीं कर सकता?

क्या कई महान संत ऐसे हुए हैं जिन्हें कभी औपचारिक दीक्षा नहीं मिली?

गुरु द्वारा औपचारिक दीक्षा देने के क्या लाभ और हानियाँ हैं?

शास्त्रों में उस गुरु के लिए कौन-सी योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं जो शिष्यों को दीक्षित कर सकता है?

दीक्षा के बाद शिष्य को बिना मार्गदर्शन के छोड़ देने की प्रथा — उसके दुष्परिणाम और निहितार्थ क्या हैं?

गुरु के अपने औपचारिक रूप से दीक्षित शिष्यों के प्रति नैतिक दायित्व क्या हैं, और जब दीक्षादाता उन दायित्वों का निर्वाह नहीं करता, तो उसके क्या परिणाम होते हैं?

Part XIII – महान और प्रेरणादायक व्यक्तित्व

विभिन्न भाषाई, धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं से संबद्ध प्रमुख स्त्री और पुरुष व्यक्तित्वों का अध्ययन किया जाएगा। इनमें वैदिक ऋषि, महाकाव्य पात्र, तथा संविधानिक अर्थ में “हिन्दू” शब्द के व्यापक दायरे में आने वाले बौद्ध, जैन, सिख संत, भक्तिपरंपरा के आचार्य, समाज-सुधारक और देश के सभी क्षेत्रों की अन्य उल्लेखनीय विभूतियाँ शामिल होंगी।

Part XIV – तुलनात्मक धर्म (अन्य आस्थाएँ)

उद्देश्य –

विश्व के प्रमुख धर्मों का व्यवस्थित, आलोचनात्मक और संवादात्मक अध्ययन; सह-अस्तित्व और अंतर्धार्मिक सौहार्द के प्रश्नों पर राष्ट्रीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संतुलित, तर्कसंगत चर्चा।

मॉड्यूल –

ईसाई धर्म –

धर्मग्रंथ, लिदेव की अवधारणा, प्रमुख शिक्षाएँ और आलोचनात्मक दृष्टिकोण।

इस्लाम –

कुरआन, पाँच स्तंभ, शरीयत और विवादास्पद विषयों का विवेचन।

बौद्ध धर्म –

चार आर्य सत्य, अहिंसा का सिद्धांत और प्रमुख दार्शनिक प्रश्न।

सिख धर्म –

गुरु परंपरा, धर्मग्रंथ और समुदाय की संरचना।

जैन धर्म –

त्रिरत्न (सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण), अहिंसा, तप और स्त्री-मुक्ति पर विमर्श।

यहूदी धर्म –

तौराह, तलमूद, प्रमुख पर्व और समकालीन प्रश्न।

तुलनात्मक विश्लेषण –

विभिन्न धर्मों में विचारगत समानताएँ और भिन्नताएँ;

नैतिकता के सिद्धांतों में समानता और भेद : धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य और नैतिक-अनैतिक की अवधारणाओं का तुलनात्मक अध्ययन।

ईश्वर, आत्मा और जगत की संकल्पनाएँ –

विभिन्न मतों में ईश्वर, आत्मा और सृष्टि के स्वरूप पर विचार; ब्रह्मांड की उत्पत्ति और वास्तविकता के स्वभाव से संबंधित अवधारणाएँ।

सभी धर्मों के उन बिंदुओं पर समालोचनात्मक चर्चा, जिन पर आज समकालीन मूल्यों के आलोक में विवाद या मतभेद उत्पन्न होते हैं।

पद्धति –

ग्रंथाधारित अध्ययन, व्याख्यान, चर्चा और परियोजना-आधारित शिक्षण।

Part XV – भाषा अध्ययन

प्रशिक्षण में निम्न भाषाएँ सम्मिलित होंगी –

संस्कृत – वैदिक और लौकिक दोनों रूपों में।

अन्य प्रमुख भारतीय भाषाएँ।

एक भारतीय जनजातीय भाषा।

अंग्रेज़ी

एक अन्य विदेशी भाषा (जैसे अंग्रेज़ी, फ्रेंच, अरबी, पुर्तगाली, डच, स्पैनिश, अफ्रीकी या लैटिन-अमेरिकी) जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने की क्षमता विकसित हो सके।

Part XVI – भारतीय विधि और अंतरराष्ट्रीय अभिसमय

भारतीय संविधान के प्रावधान –

धर्म, धार्मिक संस्थाएँ, धर्म की स्वतंत्रता और मानवाधिकार से संबंधित प्रावधान;
धर्मांतरण और साम्प्रदायिक सद्भाव से संबंधित विधियाँ।

अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक अधिकार –

धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए विधिक प्रावधान और धार्मिक बहुसंख्यकों के समान अधिकार।

मानवाधिकार अभिसमय –

संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा धर्म-स्वतंत्रता से संबंधित मानवाधिकार प्रावधान।

कानूनी प्रतिरक्षा और उपाय –

मुकदमों से सुरक्षा, स्व-प्रतिनिधित्व, जनहित याचिका, तथा राजनीतिक या धार्मिक उत्पीड़न से बचाव के उपाय।

अंतरराष्ट्रीय संदर्भ –

विदेशों में धर्म-प्रचार या धार्मिक गतिविधियों से संबंधित विधिक सावधानियाँ, विशेषकर इस्लामी देशों की यात्रा के समय।

तुलनात्मक धर्मनिरपेक्षता –

भारत की धर्मनिरपेक्षता की तुलना तुर्की, बांग्लादेश, ब्रिटेन, नॉर्वे और अन्य तथाकथित धर्मनिरपेक्ष देशों के मॉडल से; वास्तविक, आडंबरपूर्ण और राजनीतिक प्रयोजन से प्रयुक्त धर्मनिरपेक्षता के रूपों का अध्ययन; बहुसंख्यक समाज के दमन हेतु “धर्मनिरपेक्षता” के दुरुपयोग की आलोचनात्मक समीक्षा।

Part XVII– आजीविका संवर्धन और व्यावसायिक जागरूकता

इस भाग का उद्देश्य समुदायों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अध्यात्माचार्यों को इस योग्य बनाना है कि वे युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखा सकें।

1. परिचय –

मार्गदर्शक की भूमिका।

आजीविका मार्गदर्शक के कर्तव्य और अपेक्षाएँ।

समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने की विधियाँ।

करियर परामर्श और बुनियादी परामर्श कौशल का परिचय।

2. कृषि तकनीक और सतत खेती –

मृदा और जल प्रबंधन, सिंचाई और फसल चक्र।

जैविक, मिश्रित और समेकित कीट-प्रबंधन खेती।

बागवानी, पशुपालन और मधुमक्खी पालन।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सहकारी समितियाँ और स्वयं सहायता समूह।

सरकारी योजनाएँ – कृषि ऋण, बीमा और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम।

3. विभिन्न व्यवसाय और गृह-उद्योग –

हस्तशिल्प और लघु उद्योग – बुनाई, बाँस, काँसा, लकड़ी और मिट्टी के उत्पाद।

खाद्य प्रसंस्करण – अचार, मुरब्बा, बेकरी, मसाला निर्माण।

ग्रामीण सेवाएँ – दुग्ध प्रसंस्करण, डेयरी, खादी, सिलाई और कढ़ाई।

गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, पैकेजिंग और विपणन व्यवस्था।

4. लघु उद्योग और उद्यमिता –

बाज़ार की माँग और उत्पाद-डिज़ाइन का ज्ञान।

उद्यमिता के मूल सिद्धांत – व्यवसाय योजना, लाभ-हानि विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन।

सूक्ष्म वित्त, ऋण और क्रेडिट योजनाएँ।

डिजिटल साक्षरता, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन विपणन।

सरकारी और निजी सहायता योजनाएँ – मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, कौशल विकास मिशन आदि।

5. करियर परामर्श और परीक्षा तैयारी

रुचि, योग्यता और क्षमता का मूल्यांकन।

शैक्षिक विकल्प – आईटीआई, पॉलिटेक्निक, दूरस्थ शिक्षा और डिजिटल पाठ्यक्रम।

अध्ययन कौशल, समय प्रबंधन, नोट्स निर्माण और तनाव नियंत्रण।

प्रतियोगी परीक्षाओं, सरकारी नौकरियों तथा रक्षा और पुलिस सेवाओं में भर्ती की जानकारी।

छात्रवृत्ति, अप्रेंटिसशिप और इंटरनशिप के अवसर।

6. महिला और युवा स्व-रोजगार रणनीतियाँ

सिलाई, कढ़ाई, गृह-आधारित व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण।

स्वयं सहायता समूहों का गठन और प्रबंधन।

युवा उद्यमिता – रोबोटिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, मोबाइल रिपेयरिंग, कोचिंग या ट्यूशन केंद्र।

वित्तीय साक्षरता – बैंकिंग, बीमा और निवेश का आधारभूत ज्ञान।

समुदाय कार्यशालाएँ और स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों तथा व्यावसायिक संस्थाओं से सहयोग।

7. समेकन और केस अध्ययन

सफल ग्रामीण उद्यमियों और सामाजिक उपक्रमों के उदाहरण ।

समूह परियोजनाएँ – किसी काल्पनिक ग्राम या क्षेत्र के लिए आजीविका योजना तैयार करना ।

क्षेत्रीय भ्रमण – किसानों, स्वयं सहायता समूहों, लघु उद्योगों और बाजारों से संवाद । समुदाय के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं का संचालन ।

8. सॉफ्ट स्किल्स और नैतिकता

प्रभावी संप्रेषण और सक्रिय श्रवण ।

नेतृत्व, टीम-निर्माण और समूह गतिविधियों का प्रबंधन ।

प्रेरणा और परामर्श तकनीकें ।

मार्गदर्शक की नैतिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता ।

9. संसाधन और सहयोग नेटवर्क

सरकारी विभाग, बैंक या सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ और स्वयंसेवी संगठन ।

ऑनलाइन मंच – स्वयं, कोर्सेरा, यूडेमी आदि ।

पुस्तकें, पत्रिकाएँ और संदर्भ सामग्री ।

स्थानीय उद्योग, कृषि विश्वविद्यालय और कौशल विकास केंद्र ।

10. मूल्यांकन और परिणाम

सैद्धांतिक मूल्यांकन – प्रत्येक मॉड्यूल पर आधारित लघु परीक्षाएँ ।

व्यावहारिक कार्य – परियोजनाएँ, केस अध्ययन और फील्ड रिपोर्ट ।

सहयोगात्मक मूल्यांकन – समूह चर्चा, भूमिका-अभिनय और कार्यशाला प्रदर्शन ।

अंतिम परियोजना – किसी समुदाय या क्षेत्र के लिए आजीविका योजना की प्रस्तुति ।

अपेक्षित परिणाम –

प्रशिक्षित अध्यात्माचार्य विभिन्न आजीविका विकल्पों, कृषि और औद्योगिक अवसरों, युवाओं और महिलाओं के करियर मार्गदर्शन, स्वयं सहायता समूहों के गठन और प्रबंधन, तथा सामुदायिक विकास योजनाओं के संचालन में दक्ष होंगे ।

Part XVIII – सेवा-आधारित आत्मनिर्भर अध्यात्माचार्य

प्रशिक्षण

इस भाग का उद्देश्य अध्यात्माचार्यों को इतना आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है कि वे अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों से विचलित हुए बिना समाज-सेवा में निरंतर संलग्न रह सकें। इस प्रशिक्षण में सेवा-आधारित सहायक कौशल और आवश्यक डिजिटल दक्षता पर बल दिया जाएगा। यह भी स्वीकार किया गया है कि ऐसे अध्यात्माचार्य सामान्यतः अपनी आजीविका पारंपरिक साधनों से प्राप्त करेंगे, जैसे धार्मिक अनुष्ठानों और संस्कारों के संचालन पर मिलने वाली दक्षिणा, प्रवचन या कथा (जैसे रामकथा या भागवत कथा) से प्राप्त मानदेय, भजन-कीर्तन से प्राप्त आय, तथा सेवा कार्यों के दौरान स्वेच्छा से दिए गए दान या पाद-पूजन से प्राप्त संसाधन।

पाठ्यक्रम के उद्देश्य –

सेवा-गतिविधियों के लिए आवश्यक सीमित डिजिटल और प्रशासनिक कौशल का अर्जन, बिना किसी व्यावसायिक लालसा के।

धार्मिक मर्यादा के अनुरूप वैध और नैतिक आय-स्रोतों का विकास, जो संयमित और आवश्यकता-आधारित हों तथा लोभ से रहित हों।

डिजिटल सेवा-कौशल (मूल स्तर) – कंप्यूटर ज्ञान, दस्तावेज़ या स्लाइड तैयार करना, ऑडियो रिकॉर्डिंग (भजन या प्रवचन के लिए), ऑनलाइन संचार (जैसे ज़ूम, ईमेल), और सोशल मीडिया का संयमित व अनुशासित उपयोग।

सेवा-आधारित सहायक कौशल – योग और ध्यान की ऑनलाइन शिक्षा, भाषाओं का शिक्षण, प्राकृतिक उत्पादों (जैसे अगरबत्ती या तुलसी पौधे) का दान-आधारित वितरण।

ट्रस्ट या संस्था (एनजीओ) का प्रबंधन।

संरचना – व्यावहारिक और आध्यात्मिक सत्तों का संयोजन।

मूल्यांकन – मंत्र-पाठ, अनुष्ठान प्रदर्शन, लघु डिजिटल परियोजनाएँ और लिखित परीक्षा।

Part XIX – अध्यात्माचार्य पाठ्यक्रम के अन्य आवश्यक विषय

अध्यात्माचार्यों के समग्र निर्माण हेतु निम्न सहायक विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा –

1. कंठस्थ अध्ययन –

भगवद्गीता के सात सौ श्लोकों का पूर्ण स्मरण ।
योगसूत्रों के चयनित अंशों का कंठस्थ अभ्यास ।
पाणिनीय व्याकरण और अन्य प्रमुख व्याकरणिक ग्रंथों का स्मरण ।
वेद, उपनिषद्, स्मृति और नीति-ग्रंथों के चयनित अंशों का पाठ ।
धार्मिक अनुष्ठानों और संस्कारों से संबंधित मंत्र ।

2. पौरोहित्य कौशल –

शुद्ध संस्कृत उच्चारण (वैदिक और लौकिक) और मंत्र प्रयोग में निपुणता ।
यज्ञ, संस्कार और अनुष्ठानों के क्षेत्र में सभी प्रमुख सम्प्रदायों की पद्धतियों का व्यावहारिक ज्ञान ।
अनुष्ठानों के कुशल संचालन की क्षमता के साथ-साथ आध्यात्मिक परामर्श देने की योग्यता ।

3. भाष्य और व्याख्या कौशल –

अन्वय, पदच्छेद और भाष्य पद्धति में अभ्यास ।
आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य जैसे प्रमुख भाष्यकारों का तुलना-त्मक अध्ययन ।
प्रवचन, कथा-वाचन और शास्त्रीय शिक्षाओं के सरल एवं जनसुलभ प्रस्तुतीकरण की कला का अभ्यास ।

4. हिन्दू धर्म का इतिहास और सामाजिक भूमिका

हिन्दू समाज का विकास, वर्णाश्रम व्यवस्था के आदर्श और उसकी विकृतियाँ ।
इस्लामी और औपनिवेशिक काल में सनातन धर्म को सामना करना पड़ा संकट और आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानन्द तथा दयानन्द सरस्वती जैसे पुनर्जागरण आंदोलनों की भूमिका ।
मंदिर संस्कृति का सामाजिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में अध्ययन ।

5. मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार

भारतीय मनोविज्ञान – मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त की संरचना और कार्य ।

अध्यात्माचार्य की नीति – सत्यनिष्ठा, आत्मसंयम, वैराग्य और विनम्रता ।
व्यक्तियों और परिवारों के मार्गदर्शन में संवेदनशीलता, भावनात्मक संतुलन और
विवाद समाधान की क्षमता ।

6. समसामयिक सामाजिक-राजनीतिक चेतना

आधुनिक चुनौतियाँ – धर्मांतरण, मिथ्याप्रचार और युवाओं की विमुखता ।
मीडिया, सामाजिक मंचों और विधिक सक्रियता की भूमिका ।
हिन्दुओं के नागरिक कर्तव्य और संवैधानिक अधिकार ।
जन-संगठन, सामुदायिक जागरण और संस्थागत विकास का प्रशिक्षण ।

7. व्यावहारिक क्षेत्र-कार्य (अप्रेंटिसशिप और कार्यशाला)

स्थानीय समुदायों, धार्मिक संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों से संपर्क ।
सनातन धर्म की डिजिटल उपस्थिति – सकारात्मक प्रचार और प्रभावी प्रत्युत्तर ।
भारतीय मंदिर वास्तुकला, पवित्र ज्यामिति और वास्तु का अध्ययन ।
उत्सवों, यात्राओं और सामाजिक आयोजनों का प्रबंधन ।
गैर-लाभकारी संस्थानों का संचालन और निधि-संग्रह ।
जन-संवाद, डिजिटल साक्षरता और सामग्री निर्माण का अभ्यास ।
अन्य धर्मों की धर्मांतरण नीतियों का अध्ययन और तथ्यों पर आधारित प्रत्युत्तर; साथ
ही जिज्ञासुओं को सनातन शरण में स्वागत करने की भावना का संवर्धन ।

8. हिंदू धर्म पर वामपंथियों, पाश्चात्य विद्वानों और प्रतिस्पर्धी धर्मों द्वारा लगाए जाने
वाले सभी आक्षेपों का सूचीकरण, तथा उनका शास्त्र-आधारित और तर्कसंगत उत्तर ।

9. प्रतिस्पर्धी धर्मों पर वामपंथियों, पाश्चात्य विद्वानों और हिंदुओं द्वारा लगाए जाने
वाले सभी आक्षेपों का सूचीकरण, तथा संबंधित प्रतिस्पर्धी धर्मों द्वारा दिए गए उत्तरों
की समीक्षा और विश्लेषण ।

10. प्रतिस्पर्धी धर्मों द्वारा धर्मांतरण हेतु अपनाए जा रहे तरीकों का शोधपूर्ण अध्ययन
तथा उनके विरुद्ध प्रभावी और नैतिक प्रतिरोधी उपायों का विकास ।

11. आयुर्वेद और औषधीय ज्ञान

आयुर्वेद और औषधीय पौधों का मध्यवर्ती स्तर का ज्ञान; समाजोपयोगी स्वास्थ्य-संवर्धन के लिए मूलभूत स्वास्थ्य अभ्यास और प्राकृतिक जीवनशैली का प्रसार ।

12. लेखा और पारदर्शिता

दान और अर्पण का अभिलेख-रखाव, पारदर्शी प्रशासन और संयमित व्यक्तिगत व्यय ।

जीवन-संतुलन और नैतिकता – समय प्रबंधन, सादगी, गरिमा और ईमानदारी ।
व्यावसायिक प्रवृत्तियों से परहेज और आत्म-देखभाल की भावना ।

13. ज्योतिष और पंचांग-पठन कौशल

ज्योतिषीय गणना और पंचांग के मूल उपयोग का ज्ञान ।

निष्कर्ष

यह पाठ्यक्रम सामाजिक और धार्मिक नेतृत्व, गहन शास्त्र-अध्ययन, सेवा, अनुशासन, अंतर्धार्मिक समझ और समाज के आर्थिक तथा आध्यात्मिक उत्थान का समन्वय प्रस्तुत करता है । इसका उद्देश्य ऐसे अध्यात्माचार्यों का निर्माण करना है जो केवल धार्मिक शिक्षक न होकर राष्ट्र-निर्माता, मार्गदर्शक और आध्यात्मिक प्रेरणास्रोत बनें – जो ज्ञान, कौशल और जीवन-आदर्श के संतुलित सामंजस्य से युक्त हों ।